मंथली पॉलिसी रिव्यू

अक्टूबर 2020

इस अंक की झलकियां

संसद की स्टैंडिंग कमिटी ने 2020-21 में समीक्षा के लिए विषयों को चिन्हित किया (पेज 2)

इस वर्ष के कुछ विषयों में भारत में कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन की स्थिति, कोविड-19 महामारी का प्रबंधन, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं और प्रवासी श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी उपाय शामिल हैं।

एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी (पेज 11)

आयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करना, अनुसंधान, उन्हें चिन्हित तथा हल करना शामिल है।

कुछ राहतों के साथ देशव्यापी लॉकडाउन 30 नवंबर तक बढ़ाया गया (पेज 2)

अधिकतर नियमों को बढ़ाया गया। सिनेमा घरों और बिजनेस एग्जीबिशंस के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में अलग-अलग समय और डिस्टेंसिंग के नियम शामिल हैं। ओसीआई/पीआईओ के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्राओं की शर्तों में ढिलाई दी गई है।

उपभोक्ता व्यय और पूंजीगत व्यय में वृद्धि के उपाय घोषित (पेज 3)

सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा लाभ के बदले कैश वाउचर दिए जाएंगे। पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए सरकार 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए उधार दिए जाएंगे।

आरबीआई ने लिक्विडिटी और ऋण प्रवाह में वृद्धि के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की (पेज 4)

आरबीआई राज्य सरकार के बॉन्ड्स में ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेगा ताकि इन बॉन्ड्स में लिक्विडिटी में सुधार हो। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के एक्सपोजर्स के लिए बैंकों की ऋण लागत को कम करने के लिए आरबीआई ने नियमों में संशोधन किए हैं।

2020-21 की दूसरी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 6.9% (पेज 7)

जुलाई 2020 में सीपीआई मुद्रास्फीति 6.7% थी जोकि सितंबर में 7.3% हो गई। इस अवधि के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति भी 9.3% से बढ़कर 10.7% हो गई। इसके अतिरिक्त इस दौरान डब्ल्यूआईपी मुद्रास्फीति -0.2% से बढ़कर 1.3% हो गई।

केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए उधारी योजना में संशोधन किए (पेज 8)

केंद्र सरकार जीएसटी मुआवजा सेस कलेक्शन की कमी को पूरा करने के लिए 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। यह राशि राज्यों को उनके जीएसटी मुआवजा अनुदान के बदले बैक टू बैक लोन के रूप में हस्तांतरित की जाएगी।

जम्मू एवं कश्मीर में कुछ केंद्रीय और राज्य कानूनों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी (पेज 15)

केंद्रीय कानूनों में विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करना शामिल (जैसे कारखाना एक्ट, 1948 और औद्योगिक विवाद एक्ट,1947)। राज्य कानूनों में जम्मू एवं कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए गैर निवासियों को अनुमति देने वाले संशोधन शामिल हैं।

ड्राफ्ट टेनेंसी एक्ट, 2020 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया (पेज 16)

ड्राफ्ट में कहा गया है कि लिखित टेनेंसी एग्रीमेंट को रेंट अथॉरिटी को सौंपा जाना चाहिए। इसमें गैर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट को दो महीने के किराए तक सीमित किया गया है और सब-लेटिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत ड्राफ्ट नियम सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी (पेज 12)

PRS Legislative Research ■ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ■ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ■ New Delhi – 110002
Tel: (011) 43434035, 23234801 ■ www.prsindia.org

ड्राफ्ट नियम केंद्र सरकार के सभी इस्टैबलिशमेंट्स में लागू होगा। यह कर्मचारियों की छंटनी या उन्हें नौकरी से निकालने के लिए सरकारी सहमति हेतु आवेदन की समय अवधि निर्धारित करता है। यह नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के लिए री-स्किलिंग फंड की स्थापना भी करता है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन जारी (पेज 17)

नियम नेक व्यक्ति, यानी दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति के संरक्षण का विवरण देता है। इसके अतिरिक्त इनमें वाहन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में ओनरशिप की श्रेणी को शामिल करने की भी अपेक्षा की गई है।

स्ट्रेथेनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रॉजेक्ट मंजूर (पेज 24)

केंद्रीय कैबिनेट ने स्टार्स प्रॉजेक्ट को मंजूरी दी है जिसका लक्ष्य देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह छह राज्यों, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओड़िशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान पर केंद्रित होगा।

संसद

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने 2020-21 में समीक्षा हेतु विषयों को चिन्हित किया

संसद की 24 विभागों से संबंधित 14 स्टैंडिंग कमिटियों ने 2020-21 के दौरान समीक्षा के लिए विषयों को चिन्हित किया। इन कमिटियों द्वारा चिन्हित विषयों को अनुलग्नक में सूचीबद्ध किया गया है।

कोविड-19

1 नवंबर, 2020 तक भारत में कोविड-19 के 81,84,082 पुष्ट मामले थे।[1] इनमें 74,91,513 मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 1,22,111 की मृत्यु हुई है।[1] देश और विभिन्न राज्यों में दैनिक मामलों की संख्या के लिए कृपया यहां देखें।

केंद्र सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों और इससे प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने हेतु वित्तीय उपायों की घोषणा की है। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी मुख्य अधिसूचनाओं के विवरण के लिए कृपया यहां देखें। अक्टूबर 2020 में इस संबंध में मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं।

लॉकडाउन 30 नवंबर तक बढ़ाया गया, अतिरिक्त राहत दी गई

Anya Bharat Ram (anya@prsindia.org)

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन किया था। इसके बाद लॉकडाउन को आठ बार बढ़ाया गया है। इस बार का लॉकडाउन 30 नवंबर, 2020 तक लागू है। इसके मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:[2]

- **कंटेनमेंट जोन्स:** कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा। इन जोन्स में केवल मेडिकल इमरजेंसी और अनिवार्य वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई की अनुमति होगी। राज्यों को केंद्र सरकार की पूर्व सलाह लिए बिना कंटेनमेंट जोन्स के बाहर स्थानीय लॉकडाउन करने की अनुमति नहीं है।
- **घरेलू यात्रा:** अंतरराज्यीय और राज्यों के बीच यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अतिरिक्त परमिट या मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।
- **गतिविधियों पर प्रतिबंध**: कंटेनमेंट जोन्स के बाहर अधिकतर गतिविधियां बहाल हो गई हैं। प्रतिबंधों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिनमें मेट्रो रेल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्त्रां, धार्मिक स्थल, जिमनेजियम और सिनेमा शामिल हैं। अन्य प्रतिबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्विमिंग पूल सिर्फ

खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, (ii) एग्जीबिशन हॉल्स सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, (iii) सिनेमा और थियेटर सिर्फ 50% क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं, और (iv) सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे उद्देश्यों के लिए क्लोस्ड स्पेस वाले हॉल में जमावड़े के लिए अधिकतम 50% क्षमता और 200 लोगों की अधिकतम सीमा की अनुमति है।

- **अंतरराष्ट्रीय यात्रा:**[3] ओवरसीज़ सिटिजनशिप ऑफ इंडिया और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स तथा दूसरे सभी विदेशी नागरिक (टूरिस्ट वीजा को छोड़कर) अधिकृत हवाईअड्डों और बंदरगाहों से भारत में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी मौजूदा वीजा (इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा) बहाल कर दिए जाएंगे। अगर ये वीजा खत्म हो गए हैं तो संबंधित भारतीय मिशंस और पोस्ट्स से नए वीजा हासिल किए जा सकते हैं।

उपभोक्ता व्यय और पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी के उपाय घोषित

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2020-21 के लिए उपभोक्ता व्यय और पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की।[4] इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

उपभोक्ता व्यय

- **एलटीसी नकद वाउचर योजना**: इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को उनके अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के लाभ के बदले नकद वाउचर प्रदान किया जाएगा। एलटीसी के अंतर्गत, सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित का दावा कर सकते हैं: (i) हवाई या रेल किराया की प्रतिपूर्ति और (ii) 10 दिनों के लिए लीव एनकैशमेंट। वे चार वर्ष की अवधि में दो बार एलटीसी का दावा कर सकते हैं (वर्तमान अवधि 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त होती है)।

  इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को एक एलटीसी (2018-21 के लिए उपलब्ध दो में से) के बदले नकद वाउचर दिया जाएगा, भले ही वे यात्रा न करें, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों। इनमें शामिल हैं: (i) वाउचर का उपयोग ऐसे सामान या सेवाओं की खरीद के लिए किया जाएगा जिसका मूल्य 10 दिन के लीव एनकैशमेंट के बराबर तथा कर्मचारी मिलने वाले किराए का तीन गुना हो, (ii) यह खर्च 31 मार्च, 2021 से पहले किया जाता है और (iii) पैसे का उपयोग डिजिटल भुगतान का उपयोग करके 12% या उससे अधिक की जीएसटी दर वाली वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है।

- यह योजना केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 28,000 करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। निजी क्षेत्र उन कर्मचारियों को इस योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं जिन्हें एलटीसी मिलता है। कर्मचारी नकद वाउचर के माध्यम से एलटीसी किराया के रूप में प्राप्त राशि पर आयकर छूट का दावा कर सकते हैं।[5]

- **फेस्टिवल एडवांस योजना**: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी 2020-21 में 10,000 रुपए के ब्याज मुक्त फेस्टिवल एडवांस के पात्र होंगे, जिसे 10 किश्तों में चुकाया जा सकता है। इससे 8,000 करोड़ रुपए की मांग का अनुमान है (यह मानते हुए कि आधे राज्य ही एडवांस देंगे)।

पूंजीगत व्यय

- **अतिरिक्त बजटीय आबंटन**: केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय में 25,000 करोड़ रुपए (2020-21 के बजट आवंटन का 6.1%

पूंजीगत व्यय के लिए) की वृद्धि करेगी। यह राशि सड़क, जल आपूर्ति, शहरी विकास और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर खर्च की जाएगी।

- **राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण**: सरकार 2020-21 में अपने पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। ऋण को 50 वर्षों के बाद चुकाया जा सकता है और इसके लिए किसी मध्यवर्ती ऋण चुकौती की आवश्यकता नहीं होती है। यह ऋण वर्ष 2020-21 में राज्यों के लिए उधारियों की स्वीकृत सीमा के अतिरिक्त होगा।
- सरकार ब्याज मुक्त ऋणों के जरिए राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। विभिन्न राज्यों का हिस्सा इस प्रकार होगा: (i) पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में से प्रत्येक को 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, (ii) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में से प्रत्येक को 450 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, (iii) शेष राज्यों में 7,500 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे और यह वितरण 15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाई गई व्यवस्था के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपए उन राज्यों के बीच ऋण के रूप में वितरित किए जाएंगे, जो कि भारत सरकार के आर्थिक पैकेज (यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, शहरी स्थानीय निकाय राजस्व, और बिजली वितरण) के अंतर्गत निर्दिष्ट चार सुधारों में से कम से कम तीन को लागू करते हैं।

आरबीआई ने लिक्विडिटी और ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

आरबीआई ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए वित्तीय बाजार को लिक्विडिटी सपोर्ट और ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु उपायों की घोषणा की।[6] आरबीआई के उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **लिक्विडिटी:** आरबीआई एक लाख करोड़ रुपए तक के ऑन टैप टीएलटीआरओ (लक्षित दीर्घकालिक पुनर्खरीद ऑपरेशंस) का संचालन 31 मार्च, 2021 तक करेगा। इस योजना के अंतर्गत बैंक एक फ्लोटिंग दर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए धन राशि उधार ले सकते हैं जो रेपो रेट से जुड़ा होती है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली धन राशि या तो (i) बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश की जा सकती है, या (ii) कुछ क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं को ऋण देने के लिए उपयोग की जाती है। इन क्षेत्रों में कृषि, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), और ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।[7] 30 सितंबर, 2020 तक बकाया राशि के लिए वित्तीय साधनों में निवेश वृद्धिशील होना चाहिए।
- आरबीआई राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमएल) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एक विशेष मामले के रूप में करेगी। एसडीएल राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां हैं।[8] ओएमओ विभिन्न राज्यों द्वारा जारी एसडीएल की बास्केट के लिए संचालित किए जाएंगे।
- **निर्यात समर्थन**: 2016 में आरबीआई ने निर्यातकों की ऑटेमेटेड कॉशन/डी-कॉशन लिस्टिंग शुरू की थी।[9] अगर निर्यातकों का शिपिंग बिल दो वर्ष से ज्यादा बकाया रहता है तो उन्हें कॉशन लिस्टेड किया जाएगा। ऐसे निर्यातकों को विभिन्न प्रकार के ऋण नहीं दिए जाएंगे।[10] एक बार बिल चुकाने पर निर्यातक डी-कॉशन लिस्ट में आ जाएंगे। आरबीआई बैंकों के सुझाव को भी कॉशन/डीकॉशन कर सकता है। अब आरबीआई कॉशन/डीकॉशन लिस्टिंग को बंद कर देगा, हालांकि बैंकों के सुझाव पर यह लिस्टिंग जारी रहेगी। इससे निर्यातकों के पास निर्यात आय की प्राप्ति में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, चूंकि मामलों के आधार पर कॉशन लिस्टिंग की जाएगी।

- **रीटेल एक्सपोजर के लिए निम्न रिस्क वेट:** एक्सपोजर्स (ऋण) में आमतौर पर 100% का रिस्क वेट होता है, जो पूंजी की सीमा को बरकरार रखने का संकेत होता है। उच्च स्तर के रिस्क वेट के परिणामस्वरूप अधिक पूंजी की जरूरत होती है, और इस कारण ऋण की लागत भी उच्च होती है। व्यक्तियों और 5 करोड़ रुपए तक के छोटे व्यवसायों के लिए एक्सपोजर्स रेगुलेटरी रीटेल पोर्टफोलियो में शामिल होने के पात्र होते हैं और उनका रिस्क वेट 75% होता है।[11] आरबीआई ने इस सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे ऐसे एक्पोजर्स पर बैंकों के लिए ऋण की लागत के कम होने की उम्मीद है।

उधारकर्ताओं को चक्रवृद्धि ब्याज से राहत प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

वित्त मंत्रालय ने मोराटोरियम की अवधि के दौरान ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज से उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया था।[12,13] आरबीआई ने ऋण संस्थानों को टर्म लोन के भुगतान तथा ब्याज भुगतान पर उधारकर्ताओं को छह महीने का मोराटोरियम (मार्च-अगस्त) देने की अनुमति दी थी।[14,15] पर मोराटोरियम और स्थगित ब्याज भुगतान का विकल्प चुनने वाले उधारकर्ताओं को स्थगित ब्याज भुगतान भी ब्याज देना था। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उधारकर्ताओं को 'ब्याज पर ब्याज' के भुगतान से राहत देने के लिए सरकार ऋण लेने वाली संस्थाओं के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के ऋण खातों में अनुग्रह राशि का भुगतान करेगी। भुगतान की राशि मार्च-अगस्त 2020 के लिए देय चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होगी (29 फरवरी, 2020 तक बकाया ऋण राशि के आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी)। यह भुगतान उन उधारकर्ताओं को भी किया जाएगा जिन्होंने मोराटोरियम का विकल्प नहीं चुना था।

कुल बकाया 2 करोड़ रुपए तक की राशि वाले उधारकर्ता (सभी उधार और ऋण संस्थानों में) इस योजना के लिए पात्र हैं। योजना में निम्नलिखित प्रकार के ऋणों पर शामिल हैं: (i) आवास ऋण, (ii) शिक्षा ऋण, (iii) कंज्यूमर ड्यूरेबल ऋण, (iv) ऑटोमोबाइल ऋण, (v) उपभोग ऋण, (vi) प्रोफेशनल्स के पर्सनल लोन्स, (vii) एमएसएमईज़ को ऋण (नकद क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं सहित), और (viii) क्रेडिट कार्ड बकाया। 29 फरवरी, 2020 तक नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स पर इस योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।

स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी

Anya Bharat Ram (anya@prsindia.org)

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।[16] दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) ग्रेडेड तरीके से 15 अक्टूबर, 2020 के बाद स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला ले सकते हैं। राज्य और यूटी संबंधित स्कूल या संस्थान के मैनेजमेंट के साथ सलाह करेंगे और स्थानीय स्थिति के आधार पर फैसला लेंगे। दिशानिर्देशों के मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **स्वास्थ्य और सुरक्षा:** स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी सावधानियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सभी क्षेत्रों को डिसइनफेक्ट करना, (ii) राज्य के दिशानिर्देशों के आधार पर स्कूल अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएंगे, (iii) सोशल डिस्टेंसिंग, (iv) पूरे समय मास्क लगाकर रखना, और (v) फ्लेक्सिबल उपस्थिति और बीमारी अवकाश नीति।
- **शिक्षा प्रदान करना:** राज्य और यूटी में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित के जरिए शिक्षा प्रदान की जाएगी: (i) अपडेटेड एकैडमिक कैलेंडर बनाने की अपेक्षा की जाएगी, (ii) स्कूलों में

विद्यार्थियों को पुनर्एंकीकृत किया जाएगा, (iii) महामारी के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की जाएगी, और (iv) शिक्षा की विविध तकनीक इस्तेमाल की जाएगी जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा मिले, जैसे पीयर टीचिंग और लर्निंग, टेक्नोलॉजी, और परिवार के सदस्यों को पढ़ाने लायक बनाया जा सके।

फिल्म प्रदर्शन पर सोप्स जारी

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फिल्म प्रदर्शन हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (सोप्स) जारी किए हैं।[17] सोप्स में फिजिकल डिस्टेंसिंग और अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, प्रवेश पर स्टाफ और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग, अलग-अलग कतार से निकासी, 50% की अधिकतम ऑक्यूपेंसी और मल्टीप्लेक्स में अलग-अलग स्क्रीन्स पर अलग-अलग शो टाइमिंग्स शामिल हैं। राज्य अपने फील्ड एसेसमेंट के अनुसार, अतिरिक्त उपाय निर्दिष्ट कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन्स में फिल्म प्रदर्शनों की अनुमति नहीं है।

कोविड-19 के दौरान बी2बी ट्रेड एग्जीबिशंस के लिए सोप्स जारी

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

वाणिज्य मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) ट्रेड एग्जीबिशंस करने के लिए सोप्स जारी किए हैं।[18] कंटेनमेंट जोन्स के बाहर ट्रेड एग्जीबिशंस की अनुमति है। सोप्स में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और स्मार्टफोन्स वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु का अनिवार्य प्रयोग शामिल है। वेन्यू प्रोवाइडर को थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करनी होगी और आइसोलेशन सेंटर बनाना होगा। प्रदर्शनी के आयोजक को एग्जीबिशन का अलग-अलग समय रखना होगा, प्री-रजिस्ट्रेशन करना होगा और प्रतिभागियों का रिकॉर्ड रखना होगा। साथ ही संदिग्ध कोविड-19 मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में ट्रांसफर करना होगा।

वाणिज्य मंत्रालय ने मास्क, सैनिटाइजर्स और ग्लव्स के लिए निर्यात नीति में संशोधन किए

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एन95 मास्क, एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइडर्स और ग्लव्स की निर्यात नीति में संशोधन किए:[19,20,21]

- जनवरी 2020 में एन95 मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था।[22] इस प्रतिबंध को अगस्त 2020 में आंशिक रूप से खत्म कर दिया गया। हर महीने 50 लाख एन95 मास्क के निर्यात की अनुमति दी गई।[23] इस नई अधिसूचना में कहा गया है कि एन95 मास्क का मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है।
- मार्च 2020 में सभी प्रकार के सैनिटाइजर्स का निर्यात प्रतिबंधित किया गया।[24] इन प्रतिबंधों को मई और जून 2020 में आंशिक रूप से खत्म किया गया। डिस्पोजर पंप में एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइडर्स को छोड़कर सभी प्रकार के सैनिटाइजर्स के मुक्त निर्यात की अनुमति दी गई।[25,26] हाल की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी प्रकार के सैनिटाइजर्स को निर्यात किया जा सकता है।
- जनवरी 2020 में निट्राइल ग्लव्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था।[22] हाल की अधिसूचना में निट्राइल ग्लव्स की निर्यात नीति को प्रतिबंधित से अवरोधक पर संशोधित किया गया है।

घरेलू हवाई यात्रा के दिशानिर्देशों को अपडेट किया गया

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू हवाई यात्रा के संशोधित दिशानिर्देशों को जारी किया है।[27] मई 2020 में घरेलू नागरिक उड़ानों को आंशिक रूप से कुछ प्रतिबंधों के साथ बहाल कर दिया

गया था।[28] पूर्व में यात्रा की तारीख से तीन हफ्ते पहले तक जिनकी जांच कोविड-19 पॉजिटिव नहीं थी, उन्हें ही घरेलू हवाई यात्रा की अनुमति थी। संशोधित दिशानिर्देशों में ऐसे लोगों को यात्रा की अनुमति है जो रिकवर हो चुके हैं या कोविड-19 नेगेटिव हैं।

इसके अतिरिक्त केवल एक तिहाई हवाई उड़ानों की अनुमति है और एयरलाइनों को मंत्रालय द्वारा निर्धारित किराया सीमा का अनुपालन करना होता है। ये सीमाएं 24 नवंबर, 2020 तक वैध हैं।[29,30] इन्हें अब 24 फरवरी, 2021 तक तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है।[31]

एनवायरमेंटल इंपैक्ट एसेसमेंट (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में संशोधन

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए गठित स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (एसईआईएए) और मूल्यांकन समितियों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए ईआईए अधिसूचना 2006 में संशोधन किया।[32] अधिसूचना का उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं जैसे बांधों, खदानों, हवाई अड्डों और राजमार्गों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का रेगुलेशन करना है। परियोजनाओं की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों को मूल्यांकन समिति के सुझाव पर एसईआईएए से पहले पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत होती है। तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा एसईआईएए और मूल्यांकन समितियों का गठन किया जाता है। मई 2020 में कोविड-19 को एक असाधारण परिस्थिति मानते हुए मंत्रालय ने मौजूदा एसईआईएए और मूल्यांकन समितियों के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने के लिए ईआईए अधिसूचना 2006 में संशोधन किया। संशोधन एसईआईएए और मूल्यांकन समितियों के कार्यकाल में विस्तार की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने करते हैं।

समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

2020-21 की दूसरी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 6.9% पर

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति (आधार वर्ष 2011-12) 2019 की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) की तुलना में 2020-21 की दूसरी तिमाही में 6.9% हो गई।[33] 2020-21 की दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति 3.4% (पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले) और पहली तिमाही में 6.6% थी (पिछली तिमाही के मुकाबले)।

जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति 9.3% और सितंबर में 10.7% थी जोकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 9.7% पर बैठती है। यह 2019-20 की दूसरी तिमाही में 3.5% की दर और 2020-21 की पहली तिमाही में 9.2% की दर से अधिक है।

2020-21 की दूसरी तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति 0.4% थी जोकि 2019-20 की दूसरी तिमाही में 0.9% की मुद्रास्फीति से कम है और 2020-21 की पहली तिमाही में -2.2% की मुद्रास्फीति से अधिक है।[34]

रेखाचित्र 1: 2020-21 की दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां (% परिवर्तन, वर्ष दर वर्ष)

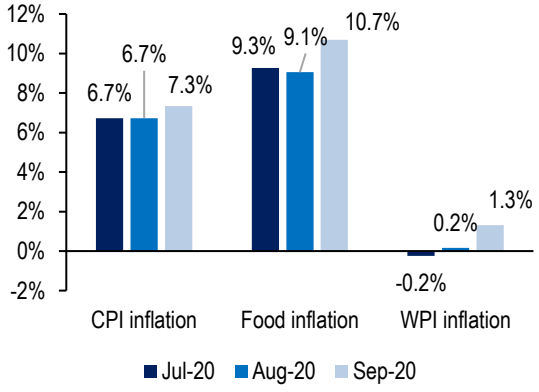

Sources: Ministry of Statistics and Programme Implementation; Ministry of Commerce and Industry; PRS.

पॉलिसी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तनीय

मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ने द्विमासिक मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य जारी किया।[35] पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है) 4% पर बरकरार है। एमपीसी के अन्य निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रिवर्स रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है) 3.35% पर अपरिवर्तनीय है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिस दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जिस दर पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है) 4.25% पर अपरिवर्तनीय है।
- एमपीसी ने आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर को कम करने के लिए मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को बरकरार रखने का फैसला किया।

वित्त

केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए अपनी उधारी योजना में संशोधन किए

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

केंद्र सरकार ने वर्ष के दौरान जीएसटी मुआवजा सेस में कमी को पूरा करने के लिए 2020-21 के लिए अपनी उधारी योजना में संशोधन किए हैं।[36] जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) एक्ट, 2017 के अंतर्गत अगर जुलाई 2017 से जून 2022 के दौरान किसी वर्ष राज्यों का जीएसटी राजस्व 14% से कम हो, तो केंद्र सरकार को उन्हें मुआवजा देना होता है। इसके लिए धनराशि जुटाने हेतु एक्ट में लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स जैसे सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, कोयला और कुछ पैसेंजर वाहनों और बेवरेज पर जीएसटी मुआवजा सेस की वसूली का प्रावधान है। 2020-21 में राज्यों के मुआवजे की तुलना में सेस कलेक्शन कम है जिसके कारण करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए की कमी हो गई है।[37] इस कुल कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ की अतिरिक्त उधारी का प्रस्ताव रखा है ताकि 'जीएसटी के कार्यान्वयन' से संबंधित कमी को पूरा किया जा सके। शेष राशि को जून 2022 के बाद भविष्य के सेस कलेक्शन से चुकाया जाएगा। 1.1 लाख करोड़ रुपए की उधारी का पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज भुगतान को भी भविष्य के सेस कलेक्शन से चुकाया जाएगा। इसके लिए जीएसटी परिषद ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार जून 2022 के बाद भी जीएसटी मुआवजा सेस की वसूली कर सकती है ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके।[38]

केंद्र सरकार की 1.1 लाख करोड़ रुपए की उधारी को राज्यों को उनके जीएसटी मुआवजा अनुदान के बदले बैक टू बैक ऋण के रूप में हस्तांतरित किया जाएगा (जिन राज्यों ने इस तरह से उधार लेने को मंजूरी दी है)। राज्यों की उधार ली गई राशि उनके राजकोषीय घाटे को बढ़ाएगी लेकिन इसे 2020-21 में राजकोषीय घाटा सीमा में नहीं गिना जाएगा। गौरतलब है कि राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा सीमा जीएसडीपी का 5% है।

1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने से 2020-21 में केंद्र सरकार की सकल मार्केट उधारी के लक्ष्य में 9.2% की बढ़ोतरी होगी और यह 13.1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह अतिरिक्त उधारी उसके राजकोषीय घाटे या जनरल गर्वमेंट (यानी केंद्र और राज्य सरकार) के ऋण को प्रभावित नहीं करेगी।

स्टैंडएलोन माइक्रोइंश्योरेंस कंपनी पर गठित कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

स्टैंडएलोन माइक्रोइंश्योरेंस कंपनी पर कमिटी (चेयर: मिराई चैटर्जी) ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडाई) को

अपनी रिपोर्ट सौंपी।[39] माइक्रोइंश्योरेंस वह प्रणाली होती है जोकि निम्न आय वाले व्यक्तियों को मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों से सुरक्षित रखती है। मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **स्टैंडएलोन माइक्रोइंश्योरेंस कंपनी**: कमिटी ने कहा कि मौजूदा बीमा कंपनियां माइक्रोइंश्योरेंस बिजनेस अच्छी तरह से नहीं कर पातीं क्योंकि इसमें लेनदेन की लागत अधिक है और औसत प्रीमियम निम्न स्तरीय। उसने सुझाव दिया कि स्टैंडएलोन माइक्रोइंश्योरेंस कंपनियां बनाई जानी चाहिए।
- **रेगुलेटरी फ्रेमवर्क**: इंश्योरेंस बिजनेस को इंश्योरेंस एक्ट, 1938 के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि माइक्रोइंश्योरेंस के अध्याय को शामिल और उससे संबंधित शब्दों को स्पष्ट करने के लिए एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। कमिटी ने कहा कि इससे माइक्रोइंश्योरेंस उत्पादों को पेश करने वाले एनजीओज़ और सहकारी संस्थानों के विकास के लिए रेगुलेटरी परिवेश भी तैयार हो सकता है।
- **न्यूनतम पूंजीगत जरूरत**: इंश्योरेंस एक्ट, 1938 इंश्योरेंस बिजनेस के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रावधान करता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि माइक्रोइंश्योरेंस कंपनियों के लिए इस सीमा को 20 करोड़ रुपए या उससे कम कर दिया जाए।
- **बिजनेस का दायरा**: कमिटी ने सुझाव दिया कि माइक्रोइंश्योरेंस कंपनियों को जीवन और गैर जीवन बीमा उत्पाद पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- **जोखिम आधारित पूंजीगत संरचना**: कमिटी ने सुझाव दिया कि माइक्रोइंश्योरेंस कंपनियों को जोखिम आधारित पूंजीगत संरचना को लागू करना चाहिए। इंश्योरर्स को अपने बिजनेस के आकार और रिस्क प्रोफाइल के आधार पर पूंजी को बरकरार रखना होगा। वर्तमान में इंश्योरर्स फैक्टर आधारित सॉल्वेंसी सिस्टम का पालन करते हैं जिसमें कुल लायबिलिटी के फिक्स्ड मल्टीपल पर पूंजी को बरकरार रखा जाता है।
- **माइक्रोइंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड**: कमिटी ने सुझाव दिया कि 50 करोड़ रुपए के शुरुआती कॉरपस से एक फंड बनाया जाए। माइक्रोइंश्योरेंस कंपनियों के लिए तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, मानव संसाधन के प्रशिक्षण, और उत्पाद विकास जैसे कार्यों में इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है।

रिपोर्ट पर 9 नवंबर, 2020 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

इरडाई ने साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस के अध्ययन के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

इरडाई ने स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रॉडक्ट की आवश्यकता पर अध्ययन के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन किया।[40] साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस में व्यक्तियों और इस्टैबलिशमेंट्स के लिए साइबर हमले और डेटा ब्रीच के लिए कवर प्रदान किया जाता है। यह आइडेंटिटी थेफ्ट, अनाधिकृत लेनदेन, मालवेयर इंट्रूजन, या साइबर एक्सटॉर्शन इत्यादि हो सकते हैं। इन जोखिमों को जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस में कवर नहीं किया जाता जोकि शारीरिक चोट और संपत्ति के नुकसान को कवर करते हैं।

पी. उमेश इस वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष होंगे और इसमें आठ अन्य सदस्य शामिल होंगे। ग्रुप के संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) इनफॉरमेशन और साइबर सिक्योरिटी पर संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन, (ii) साइबर स्पेस में लेनदेन में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों का मूल्यांकन, (iii) साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों और इन मामलों के लिए संभावित बीमा कवरेज की जांच, (iv) वर्तमान में उपलब्ध साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस उत्पादों की जांच, और (v)

साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस के दायरे का सुझाव देना।

ग्रुप को अपनी रिपोर्ट 19 दिसंबर, 2020 तक देनी है।

आईएफएससीए ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए फ्रेमवर्क पेश किया

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अथॉरिटी (आईएफएससीए) ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए फ्रेमवर्क जारी किया।[41] रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ऐसा परिवेश प्रदान करता है जिसमें बाजार के भागीदारों को एक सीमित टेस्टिंग अवधि के दौरान नियंत्रित तरीके से ग्राहकों के साथ नए फिनटेक सॉल्यूशंस (उत्पाद, सेवा और बिजनेस मॉडल्स) की जांच का मौका मिलता है। फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:

- **भागीदारी:** पात्र एंटिटीज़ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में भाग ले सकती हैं और इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड एंटिटी, इरडाई, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, (ii) स्टार्टअप इंडिया के साथ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, (iii) भारत में निगमित और रजिस्टर्ड कंपनियां, और (iv) भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (गिफ्ट सिटी) के आधार पर परिचालन के साथ वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के अनुपालन वाले क्षेत्रों में निगमित और रजिस्टर्ड कंपनियां। एफएटीएफ एक ऐसा अंतर-सरकारी निकाय है जोकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेटर फाइनांसिंग से निपटने के लिए मानक निर्धारत करता है।
- **परियोजना की पात्रता**: सैंडबॉक्स में भाग लेने वाले आवेदकों को निम्नलिखित प्रदर्शित करना होगा: (i) लाइव टेस्टिंग की जरूरत, (ii) निवेशकों, एंटिटीज़ या पूंजी बाजार के चिन्हित करने योग्य लाभ, (iii) सॉल्यूशन की टेस्टिंग से होने वाले जोखिम से सुरक्षा, और (iv) व्यापक स्तर पर सॉल्यूशन को तैनात करने का इरादा।
- **रेगुलेशंस से छूट**: सैंडबॉक्स में भाग लेने वाली एंटिटीजड को कुछ रेगुलेशंस के अनुपालन से छूट दी जा सकती है। ये व्यापक छूट हो सकती है या मामले के आधार पर दी जा सकती है। पर नो योर कस्टमर (केवाईसी) और मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों से कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- **टेस्टिंग**: एंटिटी को यूजर से टेस्टिंग में शामिल करने से पहले सूचनापरक सहमति लेनी होगी। टेस्टिंग की अधिकतम अवधि 12 महीने होगी जिसे अनुरोध के जरिए बढ़ाया जा सकता है। आईएफएससीए कुछ स्थितियों में टेस्टिंग अवधि के समाप्त होने से पहले सैंडबॉक्स में भागीदारी को रद्द कर सकती है। इनमें निम्नलिखित स्थितियां शामिल हैं: (i) अगर एंटिटी जोखिम कम करने के तरीकों को लागू नहीं करती, और (ii) अगर वह लिक्विडेशन में चली जाती है, इत्यादि।

आरबीआई ने क्यूआर कोड की इंटरऑपरेबिलिटी के लिए निर्देश जारी किए

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

आरबीआई ने डिजिटल भुगतान हेतु क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड इंफ्रास्ट्रक्चर की इंटरऑपरेबिलिटी के लिए निर्देश जारी किए।[42] ये उपाय क्यूआर कोड पर गठित कमिटी के सुझावों पर आधारित है। कमिटी ने जुलाई 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी है।[43] क्यूआर कोड एक दो आयामी बार कोड होता है जिसे इमेजिंग डिवाइस जैसे स्मार्टफोन रीड कर सकते हैं।[43] इसके जरिए प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स के बिना भी डिजिटल भुगतान किए जा सकते हैं। एक इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड से उपभोक्ता पेमेंट ऐप इस्तेमाल किए बिना भुगतान कर सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी के बिना पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (पीएसओ) के क्यूआर कोड्स को सिर्फ सहायक पेमेंट ऐप से स्कैन किया जा सकता है।

आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, इस समय मौजूद दो इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड्स, यूपीआई क्यू और भारत क्यूआर काम करते रहेंगे।[42] कुछ अन्य मोबाइल वॉलेट प्रोवाइडर, जोकि प्रॉपरायिटी (नॉन-इंटरऑपरेबल) क्यूआर कोड्स को इस्तेमाल करते हैं को, 31 मार्च, 2022 तक इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पीएसओज़ को नए प्रॉपरायिटी (नॉन-इंटरऑपरेबल) क्यूआर कोड्स को शुरू करने की अनुमति नहीं है।

पर्यावरण

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर आयोग गठित करने हेतु अध्यादेश जारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश, 2020 जारी किया गया।[44] अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तथा निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के लिए बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने और उनका हल करने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निकटवर्ती इलाकों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के क्षेत्र आते हैं जहां प्रदूषण का कोई स्रोत एनसीआर की वायु गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। अध्यादेश के मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आयोग का कामकाज:** आयोग के कामकाज में निम्नलिखित शामिल होगा: (i) अध्यादेश के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, (ii) क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम और उसे नियंत्रित करने की योजनाएं बनाना और उन्हें अमल में लाना, (iii) वायु प्रदूषकों को चिन्हित करने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना, (iv) तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के जरिए अनुसंधान और विकास करना, (v) वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाना और उसका प्रशिक्षण, और (vi) विभिन्न कार्य योजनाएं तैयार करना, जैसे पौधे लगाना और पराली जलाने के मामलों पर ध्यान दिलाना।
- **शक्तियां:** आयोग की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, (ii) पर्यावरणीय प्रदूषण की जांच और अनुसंधान करना, (iii) वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण हेतु संहिताएं और दिशानिर्देश तैयार करना, और (iv) व्यक्तियों और अथॉरिटी के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करना। किसी मतभेद की स्थिति में राज्य सरकारों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य पीसीबीज़ और राज्य स्तरीय वैधानिक निकायों के आदेशों के स्थान पर आयोग के आदेश या निर्देश लागू होंगे।
- **संयोजन:** आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: (i) चेयरपर्सन, (ii) केंद्र सरकार के दो संयुक्त सचिव, (iii) स्वतंत्र तकनीकी सदस्यों के रूप में वायु प्रदूषण से संबंधित ज्ञान और विशेषज्ञता वाले तीन सदस्य, और (iv) गैर सरकारी संगठनों के तीन सदस्य। आयोग में निम्नलिखित पदेन सदस्य भी शामिल होंगे: (i) केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के सदस्य, और (ii) सीपीसीबी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और नीति आयोग के तकनीकी सदस्य। आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष या

उनके 70 वर्ष की आयु होने तक होगा (इनमें से जो भी पहले होगा)।

- **जुर्माना:** अध्यादेश के प्रावधानों या आयोग के आदेशों अथवा निर्देशों का अनुपालन न करने या उनका उल्लंघन करने पर पांच वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। आयोग के सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा की जाएगी।

अध्यादेश के सारांश के लिए कृपया देखें।

पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020 अधिसूचित

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2020 को अधिसूचित किया।[45] नियम पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन करते हैं जिनका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदूषकों और उत्सर्जन मानदंडों को रेगुलेट करना है।[46] 2020 के संशोधन नियम थर्मल पावर प्लांट्स के लिए (1 जनवरी, 2003 और 31 दिसंबर, 2016 के बीच स्थापित) नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) के कण उत्सर्जन मानक की सीमा को 300 मिलीग्राम प्रति नॉर्मल क्यूबिक मीटर से 450 मिलीग्राम प्रति नॉर्मल क्यूबिक मीटर तक बढ़ाते हैं।

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट संशोधन नियम, 2020 अधिसूचित

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसबाउन्ड्री मूवमेंट) संशोधन नियम, 2020 को अधिसूचित किया।[47] यह 2016 के नियमों में संशोधन करता है जो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।[48] खतरनाक अपशिष्ट ऐसा कोई भी कचरा होता है जो स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। 2016 के नियमों के अनुसार, खतरनाक अपशिष्ट की रीसाइकिलिंग, प्री-प्रोसेसिंग और अन्य उपयोगी गतिविधियों में संलग्न श्रमिक कुछ लाभों के हकदार हैं, जैसे: (i) श्रमिकों की मान्यता और रजिस्ट्रेशन, (ii) औद्योगिक दक्षता विकास, और (iii) वार्षिक स्वास्थ्य और सुरक्षा निगरानी। 2020 के संशोधन नियम कुछ अन्य श्रमिकों को यह लाभ प्रदान करते हैं, जैसे खतरनाक अपशिष्ट के जनरेशन, हैंडलिंग, कलेक्शन, रिसेप्शन, उपचार, परिवहन, भंडारण, पुन: उपयोग, निपटान और रिकवरी में संलग्न श्रमिक।

स्टॉकहोम कनवेंशन के आधार पर सूचीबद्ध खतरनाक रसासयन प्रतिबंधित

केंद्रीय कैबिनेट ने स्टॉकहोम कनवेंशन के अंतर्गत सूचीबद्ध सात परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (पीओपीज़) को स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक रसायनों के तौर पर मंजूर और प्रतिबंधित किया है।[49] स्टॉकहोम कनवेंशन पीओपी से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली एक ग्लोबल संधि है। पीओपी के संपर्क में आने से निम्नलिखित की आशंका होती है: (i) कैंसर, (ii) नर्वस सिस्टम को नुकसान, (iii) इम्यून सिस्टम को नुकसान, (iv) रीप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, और (v) बच्चों के विकास में रुकावट।[49]

श्रम एवं रोजगार

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत ड्राफ्ट नियम टिप्पणियों के लिए जारी

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत ड्राफ्ट केंद्रीय नियमों को जारी किया है।[50,51] ड्राफ्ट नियम केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले इस्टैबलिशमेंट्स पर लागू होंगे और पूर्व केंद्रीय नियमों का स्थान लेंगे। ड्राफ्ट नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **छंटनी, नौकरी से निकालना और तालाबंदी:** 300 या उससे अधिक श्रमिकों वाले

कारखानों, खदानों और बागानों को कर्मचारियों की छंटनी करने, उन्हें नौकरी से निकाले या इस्टैबलिशमेंट को बंद करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। ड्राफ्ट नियमों में कहा गया है कि छंटनी की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले, नौकरी से निकालने की तारीख से 60 दिन पहले और तालाबंदी की तारीख से 90 दिन पहले सरकार को आवेदन करना होगा।

- **राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल**: संहिता में निम्नलिखित मामलों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल (जिसमें न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य शामिल होंगे) की स्थापना का प्रावधान है: (i) जिनमें राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न शामिल हों, या (ii) जोकि एक से अधिक राज्य में स्थित इस्टैबलिशमेंट्स को प्रभावित कर सकते हैं। नियमों में सिलेक्शन कमिटिज़ का संयोजन भी निर्दिष्ट है जोकि ट्रिब्यूनल के सदस्यों के संबंध में सुझाव देंगी।
- कमिटी में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (चेयरपर्सन), (ii) अन्य राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल के मौजूदा सदस्य (जोकि न्यायिक या प्रशासनिक सदस्य होंगे और यह इस पर निर्भर करेगा कि किसे नियुक्त किया जाता है), और (iii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव।
- **री-स्किलिंग फंड**: संहिता एक री-स्किलिंग फंड का प्रस्ताव रखती है जिसमें नौकरी से निकाले गए हर कर्मचारी के 15 दिन (या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिन) के वेतन के बराबर अंशदान जमा किया जाएगा। नियम में कहा गया है कि नौकरी से निकाले जाने के 10 दिनों के भीतर नियोक्ता को सरकार द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले खाते में 15 दिन का वेतन हस्तांतरित करना होगा। नियोक्ता से प्राप्त राशि को 45 दिनों के भीतर श्रमिकों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- **वर्क्स कमिटी का गठन**: संहिता में प्रावधान है कि 100 श्रमिकों से अधिक वाले इस्टैबलिशमेंट में वर्क्स कमिटी का गठन किया जाए जोकि श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच के विवादों को सुलझाएगी। ड्राफ्ट नियम में कहा गया है कि वर्क्स कमिटी में अधिकतम 20 सदस्य होंगे।

ड्राफ्ट नियमों पर अधिसूचना (29 अक्टूबर, 2020) जारी होने के 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कारखाना एक्ट, 1948 के अंतर्गत गुजरात सरकार की छूट संबंधी अधिसूचना को रद्द किया

कारखाना एक्ट, 1948 न्यूनतम 10 या 20 श्रमिकों वाले कारखानों (बिजली के इस्तेमाल पर आधारित) में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को रेगुलेट करता है। एक्ट सरकार को यह शक्ति देता है कि वह 'पब्लिक इमरजेंसी' की स्थिति में किसी कारखाने या कारखानों के एक वर्ग को उसके कुछ प्रावधानो से छूट सकती है। 'पब्लिक इमरजेंसी' में ऐसी 'गंभीर इमरजेंसी' शामिल है जब राज्य को युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से खतरा हो।

अप्रैल 2020 में गुजरात सरकार ने एक्ट के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य के कारखानों को एक्ट के कुछ प्रावधानों से छूट दी गई थी।[52] इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) साप्ताहिक कार्य के अधिकतम घंटों को 48 से बढ़ाकर 72 करना, (ii) दैनिक कार्य के अधिकतम घंटों को 9 से बढ़ाकर 12 करना, (iii) अनिवार्य विश्राम अवधि को पांच घंटे में एक बार से बदलकर छह घंटे में एक बार करना, और (iv) ओवरटाइम वेतन को कैलकुलेट करने के फॉर्मूला में संशोधन करके, इसे वेतन दर के दोगुने की बजाय मौजूदा वेतन के अनुपात में

करना। यह अधिसूचना 20 अप्रैल, 2020 से 19 अक्टूबर, 2020 तक वैध थी।

इन अधिसूचनाओं को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अदालत के समक्ष यह प्रश्न रखा गया कि क्या कोविड-19 महामारी और उसके बाद लॉकडाउन ने एक्ट के अंतर्गत निर्दिष्ट 'पब्लिक इमरजेंसी' की स्थिति पैदा की। अदालत ने कहा कि राज्य ने यह दलील दी थी कि महामारी ने आर्थिक मंदी पैदा की है और यह स्थिति 'आंतरिक अशांति के कगार पर है।' हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मंदी से भारत या उसके किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा इस तरह प्रभावित नहीं हुई है कि उसकी शांति और अखंडता को खतरा हो। इसलिए अदालत ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया, चूंकि महमारी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी 'आंतरिक अशांति' के योग्य नहीं है जोकि 'गंभीर इमरजेंसी' की स्थिति खड़ी करे और जो राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाए।[53]

अदालत ने यह भी कहा कि कानून द्वारा प्रदत कार्य की मानवीय शर्तों और ओवरटाइम वेतन के भुगतान से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 23 (जबरन श्रम के खिलाफ निषेध) के हिसाब से विरोधाभासी है। अदालत ने निर्देश दिया कि ओवरटाइम वेतन का भुगतान उन सभी श्रमिकों को किया जाए जो अधिसूचना जारी करने की तारीख से काम कर रहे हैं और इसकी मूल दर सामान्य वेतन का दोगुना ही होगी।

कैग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट सौंपी

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की अपनी प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट सौंपी।[54] एनपीएस एक अंशधारक आधारित पेंशन योजना है जोकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके स्वायत्त निकायों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है। राज्य सरकारें और उनके स्वायत्त निकाय भी अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न अवसरों पर एनपीएस संरचना को अपना सकते हैं। एनपीएस को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कैग के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **योजना**: कैग ने कहा कि: (i) एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति लाभों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, और (ii) पीएफआरडीए एक्ट, 2013 का उल्लंघन करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनपीएस ग्राहकों को न्यूनतम रिटर्न प्राप्त हो, एक न्यूनतम बीमित रिटर्न स्कीम अभी भी तैयार नहीं की गई है। कैग ने सेवा नियमों को अंतिम रूप देने और न्यूनतम बीमित रिटर्न स्कीम प्रदान करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि फंड/स्कीम का मूल्यांकन दो वर्षों में एक बार (उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसित) किया गया है या उसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कोई अन्य तरीका अपनाया गया है।
- **कार्यान्वयन**: कैग ने कहा कि योजना बनाते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया था कि 100% कर्मचारी कवर किए जाएं। यह सुझाव दिया गया कि सभी नोडल अधिकारियों और पात्र कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत करने के लिए एक प्रणाली पेश की जाए। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि कुछ मामलों में नोडल अधिकारियों ने ट्रस्टी बैंकों में अंशदान का प्रेषण नहीं किया या देरी से प्रेषण किया। ट्रस्टी बैंक योजना के अंतर्गत दिन-प्रतिदिन निधि प्रवाह और बैंकिंग सुविधाओं के लिए जिम्मेदार हैं। कैग ने पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन का सुझाव दिया ताकि उसमें प्रत्येक स्तर पर विलंब के लिए जिम्मेदारी, जवाबदेही और सजा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके और

यह सुनिश्चित हो बैंक में अंशदान प्रेषित होता है और समय पर ग्राहकों के खातों में जमा किया जाता है।

- **निगरानी**: कैग ने कहा है कि 2009 में यह तय हुआ था कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में एनपीएस के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए कमिटियों का गठन किया जाएगा। संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारी इनके सदस्य होंगे। उसने कहा कि 2012-13 और 2018-19 के बीच 66-68 मंत्रालयों/विभागों में ऐसी कमिटियां नहीं थीं।

गृह मामले

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

जम्मू एवं कश्मीर में कुछ केंद्रीय और राज्य स्तरीय कानूनों को लागू करने हेतु अधिसूचना जारी

केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 14 केंद्रीय कानूनों को संशोधनों के साथ लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है।[55,56] इन कानूनों में ट्रेड यूनियन्स एक्ट, 1926, कारखाना एक्ट, 1948 और औद्योगिक विवाद एक्ट, 1947 शामिल हैं। संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कारखाना एक्ट के अंतर्गत महिलाओं को उनकी सहमति से 7 बजे शाम से छह बजे सुबह के बीच काम करने की अनुमति, और (ii) औद्योगिक विवाद एक्ट के अंतर्गत अपराधों की कंपाउंडिंग (निपटान) के प्रावधान।

इसके अतिरिक्त 37 कानूनों (जो पूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू थे) को संशोधनों के साथ केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है, या कुछ मामलों में रद्द किया गया है।[55,56,57] इनमें से कुछ संशोधनों और रद्द किए गए कानूनों का उद्देश्य उन प्रावधानों को हटाना है जोकि सिर्फ स्थानीय नागरिकों को जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में संपत्ति खरीदने की अनुमति देते हैं। कुछ अन्य संशोधित कानून वस्तु एवं सेवा कर की वसूली, कृषि सुधारों, तथा विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित हैं। सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर पंचायती राज एक्ट, 1989 में भी संशोधन किए हैं ताकि केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले (उन क्षेत्रों को छोड़कर जो म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शामिल हैं) में जिला विकास परिषद नामक चयनित निकायों का गठन किया जा सके।

विधि एवं न्याय

Anurag Vaishnav (anurag@prsindia.org)

ऑनलाइन विवाद पर नीति आयोग की एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी

भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान पर फ्रेमवर्क बनाने हेतु नीति आयोग की एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया गया था। इस कमिटी ने चर्चा के लिए ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी है।[58] ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) का अर्थ है, विवादों के समाधान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना (उदाहरण के लिए रेज़ोल्यूशन के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और फाइलों के डिजिटल सर्कुलेशन के जरिए)। कमिटी ने विशेष रूप से कोविड-19 के बाद लॉकडाउन के मद्देनजर मौजूदा रेगुलेशंस के इस्तेमाल और उनमें संशोधन के जरिए ओडीआर के लिए एक कार्यान्वयन ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया।

ओडीआर अनेक प्रकार के संभावित लाभों को प्रस्तावित करता है, जैसे: (i) लागत में कमी (क्योंकि इसमें पक्षों को यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लीगल फीस भी कम हो जाती है), (ii) जल्द विवाद निवारण, और (iii) विवाद सुलझाने में बेइरादा पक्षपात का कम होना, जोकि शारीरिक मौजूदगी के कारण उत्पन्न हो सकता है। हालांकि ओडीआर को अपनाने की कई चुनौतियां हैं, जैसे: (i) डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल साक्षरता का अभाव, (ii) ओडीआर सेवाओं के संबंध जागरूकता और भरोसे की

कमी, (iii) पुरानी कानूनी प्रक्रियाएं जिनमें शारीरिक मौजूदगी की जरूरत होती है, और (iv) प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं। इस संबंध में कमिटी ने निम्नलिखित कहा:

- **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच**: कमिटी ने देखा कि देश में ओडीआर कई दूसरे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निर्भर है, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, डिजिटल साक्षरता के लिए पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, और न्यायपालिका द्वारा ईकोर्टस प्रोजेक्ट।
- **ओडीआर के एडॉप्शन और भरोसे में सुधार:** वर्तमान में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संचालित समाधान पोर्टल को सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्यमों से संबंधित विवादों को ऑनलाइन सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके दायरे में सिर्फ भुगतान में देरी से संबंधित मामले आते हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि एमएसएमई संबंधी सभी विवादों को शामिल करने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया जा सकता है। यह देखते हुए कि सरकार मुकदमेबाजी के लिए सबसे बड़ा पक्ष है (देश में 46% मुकदमों में सरकार की एक पक्ष है), उसने सुझाव दिया कि ओडीआर को सरकारी मुकदमों की कुछ श्रेणियों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है।
- **चरणबद्ध कार्यान्वयन**: कमिटी ने सुझाव दिया कि ओडीआर को चरणबद्ध तरीके से अपनाया जाना चाहिए। पहले चरण में कोविड संबंधी विवादों को हल करने के लिए ओडीआर को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरे चरण में ओडीआर को मेनस्ट्रीम में लाया जाना चाहिए और इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ओडीआर पर भरोसा कायम करना चाहिए और ओडीआर के लिए कानूनों में बदलाव किए जाने चाहिए। तीसरे और अंतिम चरण में सरकार और न्यायपालिका को ओडीआर को विवाद निवारण का मुख्य जरिया बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

ड्राफ्ट रिपोर्ट पर 11 नवंबर, 2020 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

आवासन एवं शहरी मामले

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2020 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया

आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की विधायिकाओं द्वारा लागू मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2020 का ड्राफ्ट जारी किया।[59] ड्राफ्ट एक्ट की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- **टेनेंसी एग्रीमेंट:** ड्राफ्ट एक्ट में प्रावधान है कि मकान मालिक और किराएदार को किराए पर कोई परिसर देने या लेने के लिए एक लिखित समझौते की आवश्यकता होगी। किरायेदार के लिए देय किराया और समय अवधि मकान मालिक और किरायेदार के बीच सहमति से तय होगा और टेनेंसी एग्रीमेंट में निर्दिष्ट होगा। इसके बारे में एग्रीमेंट की तारीख से दो महीने के भीतर रेंट अथॉरिटी को सूचित करना होगा।
- **सिक्योरिटी डिपॉजिट:** ड्राफ्ट एक्ट में प्रावधान है कि आवासीय परिसर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट दो महीने के किराए से अधिक नहीं होगा। गैर-आवासीय परिसर के मामले में यह टेनेंसी एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार और अधिकतम छह महीने के किराए के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट को मकान मालिक द्वारा परिसर के खाली होने पर कुछ कटौती करने के बाद वापस किया जाएगा।
- **टेनेंसी की अवधि**: ड्राफ्ट एक्ट में प्रावधान है कि किरायेदार मकान मालिक से टेनेंसी की

अवधि को रीन्यू करने या बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकता है। यदि एक निश्चित अवधि के लिए एक टेनेंसी समाप्त हो गई है और उसे रीन्यू नहीं किया गया है और यदि किरायेदार परिसर को खाली नहीं करता तो किरायेदार मकान मालिक को बढ़ा हुआ किराया देगा। इसके अतिरिक्त अगर किरायेदार मकान खाली नहीं करता तो मकान मालिक पहले दो महीनों के लिए मासिक किराए को दोगुना और फिर चार गुना करने के लिए अधिकृत है।

- ड्राफ्ट एक्ट यह प्रावधान भी करता है कि यदि टेनेंसी की अवधि उस समय समाप्त होती है जब स्थानीय क्षेत्र में (जहां किराए का परिसर स्थित है) कोई विनाशकारी घटना हुई है तो मकान मालिक किरायेदार को उस घटना के समाप्त होने के बाद एक महीने तक परिसर में रहने की अनुमति दे सकता है। ड्राफ्ट एक्ट में बाढ़, सूखा, युद्ध, आग, चक्रवात और भूकंप को ऐसी घटनाओं के रूप में परिभाषित करता है।
- **रेंट अथॉरिटी:** जिला कलेक्टर, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ रेंट अथॉरिटी (डिप्टी कलेक्टर के रैंक वाले) की नियुक्ति करेगा। रेंट अथॉरिटी को टेनेंसी एग्रीमेंट की सूचना मिलने पर अपनी वेबसाइट पर एग्रीमेंट का विवरण अपलोड करना होगा। अथॉरिटी मकान मालिक या किरायेदार के आवेदन पर किराया तय या संशोधित कर सकता है, और यह तय कर सकता है कि संशोधित किराया किस तारीख से लागू होगा। अथॉरिटी के आदेशों के खिलाफ रेंट कोर्ट से अपील की जाएगी और आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर ही यह अपील की जा सकती है।

ड्राफ्ट एक्ट पर 28 नवंबर, 2020 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

परिवहन

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में विभिन्न संशोधन जारी

Prachee Mishra (prachee@prsindia.org)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में अनेक संशोधनों को जारी किया है।[60,61,62] इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

नेक व्यक्ति का संरक्षण

मोटर वाहन एक्ट, 1989 के अनुसार, नेक व्यक्ति (गुड समैरिटन) वह व्यक्ति है, जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है। यह मदद (i) सदभावना पूर्वक, (ii) स्वैच्छिक, और (iii) किसी पुरस्कार की अपेक्षा के बिना होनी चाहिए। अगर सहायता प्रदान करने में लापरवाही के कारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नेक व्यक्ति पीड़ित को सहायता प्रदान करने में लापरवाही के आधार पर किसी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। संशोधित नियम में निम्नलिखित प्रावधान हैं:[60]

- एक नेक व्यक्ति जिसने पुलिस को मोटर दुर्घटना की सूचना दी है या दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया है, उससे पुलिस या अस्पताल कोई अन्य मांग नहीं करेंगे और उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा।[60] कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उसे अपना व्यक्तिगत विवरण देने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वह नेक व्यक्ति स्वेच्छा से पुलिस अधिकारी को विवरण दे सकता है। उसे अस्पताल में पीड़ित के दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने या उपचार के लिए कोई भी लागत वहन करने के लिए नहीं कहा जाएगा।
- अगर वह नेक व्यक्ति गवाह बनने को तैयार होता है तो उससे उसकी सुविधानुसार समय और स्थान पर सवाल किए जाएंगे। वह पुलिस स्टेशन में सवाल-जवाब करने को तैयार हो सकता है। उसे आपराधिक दंड

प्रक्रिया संहिता के अनुसार एफिडेविट पर सबूत देने की अनुमति होगी।

वाहन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में ओनरशिप: मंत्रालय ने मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों में ओनरशिप को शामिल करने के लिए 1989 के नियमों में संशोधन अधिसूचित किए हैं।[61] संशोधित नियमों में एक नया सेक्शन शामिल किया गया है जोकि ओनरशिप के प्रकार का उल्लेख करता है। इन श्रेणियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) स्वायत्त निकाय, (ii) केंद्र सरकार, (iii) ड्राइविंग स्कूल, (iv) दिव्यांगजन, (v) फर्म, (vi) व्यक्ति, (vii) पुलिस विभाग, और (viii) अनेक ओनर, इत्यादि।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में ड्राफ्ट संशोधन भी जारी किए हैं और इसमें इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हासिल करने की शर्तें शामिल है।[62] प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **जरूरी दस्तावेज:** वर्तमान में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के आवेदन में कई दस्तावेजों की जरूरत होती है जैसे वैध ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, भारतीय नागरिकता का वैध प्रमाण, पासपोर्ट का वैध प्रमाण, वैध वीजा प्रमाण, इत्यादि। ड्राफ्ट संशोधनों में मेडिकल सर्टिफिकेट और वीजा प्रमाण की जरूरत को खत्म किया गया है।
- **फी:** वर्तमान में आईडीपी के आवेदन के साथ 500 रुपए का शुल्क लगता है। ड्राफ्ट संशोधन में इसे बढ़ाकर 1,000 रुपए किया गया है।
- **एप्लीकेशन फॉर्म के विवरण:** वर्तमान में आवेदक को अपने एप्लिकेशन फॉर्म में बताना पड़ता है कि क्या उसे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है और अयोग्यता के कारण क्या थे। ड्राफ्ट संशोधनों में कहा गया है कि आवेदक को यह भी स्पष्ट करना होगा कि क्या उसे मौजूदा देश में वाहन चलाने से प्रतिबंधित किया गया है और अगर ऐसा है तो उसका कारण क्या है।

ड्राफ्ट कोस्टल शिपिंग बिल, 2020 सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

शिपिंग मंत्रालय ने ड्राफ्ट कोस्टल शिपिंग बिल, 2020 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया।[63] कोस्टल शिपिंग समुद्र से वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन को कहते हैं। कोस्टल शिपिंग को वर्तमान में मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। ड्राफ्ट बिल क्षेत्र के लिए स्टैंडएलोन फ्रेमवर्क प्रदान करने का प्रयास करता है।[64,65] केवल रजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड वाहनों को भारत के तटीय सागर में व्यापार, एक्सप्लोरेशन या अनुसंधान के कार्य में संलग्न किया जा सकता है।

बिल के अनुसार, मौजूदा जल नेटवर्क्स में सुधार एवं उनके प्रबंधन के लिए सामरिक योजना को दो वर्षों में विकसित किया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: (i) शिपिंग रूट्स का आकलन, (ii) जरूरी संचालनगत सुधारों को चिन्हित करना, (iii) जल नेटवर्क्स का दीर्घकालीन पूर्वानुमान, और (iv) समूचे प्रदर्शन में सुधार हेतु बेहतर पद्धतियां।

ड्राफ्ट बिल पर 6 नवंबर, 2020 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

मर्चेंट शिपिंग (मैरीटाइम लेबर) नियम, 2016 में ड्राफ्ट संशोधन जारी

Prachee Mishra (prachee@prsindia.org)

शिपिंग महानिदेशालय ने मर्चेंट शिपिंग (मैरीटाइम लेबर) नियम, 2016 में संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[66] प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

अगर पायरेसी या सशस्त्र डकैती के कारण जहाजी को जहाज पर या किसी दूसरी जगह बंधक बना लिया जाता है तो भी उसका रोजगार समझौता प्रभावी रहेगा। यह इसके बावजूद होगा

कि रोजगार समझौता समाप्त होने वाला है या पार्टी ने इसे समाप्त करने के लिए नोटिस दिया है। पायरेसी में हाई सी में, या राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर जहाज पर व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ हिंसा की कार्रवाई, हिरासत या तबाही शामिल हैं।[67]

इसके अतिरिक्त अगर जहाजी पायरेसी या सशस्त्र डकैती के दौरान बंधक बना लिया जाता है तो उसे वेतन और प्रत्यार्पण सहित अन्य पात्रताओं (रोजगार एग्रीमेंट में दर्ज) को चुकाया जाएगा। जहाज मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहाजी जब तक कैद में रहता है, उस पूरी अवधि के दौरान उन्हें चुकाया जाए, जब तक कि: (i) जहाजी कैद से छोड़ नहीं दिया जाता और उसका प्रत्यार्पण नहीं हो जाता, या (ii) अगर कैद में जहाजी की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की तिथि तक।

शिपिंग मंत्रालय ने राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल लाइसेंसिंग के नियमों में संशोधन किए

Prachee Mishra (prachee@prsindia.org)

शिपिंग मंत्रालय ने सभी प्रकार की जरूरतों के लिए टेंडर प्रोसेस के जरिए जहाजों की चार्टरिंग हेतु राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के नियमों की समीक्षा की।[68] संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, जहाजों की चार्टरिंग वरीयता के हिसाब से इस प्रकार होगी:

- भारत में बने, भारत के फ्लैग वाले (भारत में रजिस्टर्ड) और भारत के स्वामित्व वाले;
- विदेश में बने, भारत के फ्लैग वाले और भारत के स्वामित्व वाले;
- भारत में बने, विदेश के फ्लैग वाले और विदेशी स्वामित्व वाले जहाज।

शिपिंग महानिदेशालय के नए सर्कुलर के जारी होने की तारीख तक भारत में रजिस्टर्ड सभी जहाजों को भारत निर्मित माना जाएगा और वे पहली श्रेणी में आएंगे।

ऐसे चार्टर्ड जहाजों के लाइसेंस की अवधि जहाज निर्माण की अवधि तक सीमित होगी, जैसा कि शिपबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में उल्लिखित हो। संशोधित दिशानिर्देशों से घरेलू जहाज निर्माण और शिपिंग उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

शिपिंग महानिदेशालय को शिप्स रीसाइकलिंग की राष्ट्रीय अथॉरिटी के रूप में अधिसूचित किया गया

Prachee Mishra (prachee@prsindia.org)

शिपिंग महानिदेशालय को रीसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट, 2019 के अंतर्गत जहाजों की रीसाइकलिंग हेतु राष्ट्रीय अथॉरिटी के रूप में अधिसूचित किया गया है।[69] राष्ट्रीय अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत जहाजों की रीसाइकलिंग से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन, निगरानी और निरीक्षण करेगी।

एक्ट के अनुसार, जहाजों को अधिसूचित प्रतिबंधित खतरनाक सामग्रियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय अथॉरिटी निर्दिष्ट जरूरतों की पुष्टि के लिए आवर्ती सर्वेक्षण करेगी। हर नए जहाज के मालिक को राष्ट्रीय अथॉरिटी में खतरनाक समाग्रियों की इनवेंटरी पर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त जहाज मालिक को अपने जहाज की रीसाइकलिंग से पहले रीसाइकलिंग सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए राष्ट्रीय अथॉरिटी में आवेदन करना होगा। राष्ट्रीय अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई फैसला प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार से की जा सकती है।

रेलवे

Saket Surya (saket@prsindia.org)

निजी निवेश के जरिए छोटे स्टेशनों पर गुड्स-शेड्स बनाने हेतु नीति

रेलवे मंत्रालय ने निजी निवेश के जरिए छोटे/रोड-साइड स्टेशनों पर गुड्स-शेड्स बनाने के संबंध में नीति जारी की है।[70] नीति में मौजूदा गुड्स-शेड्स के विकास के साथ साथ नए शेड बनाने को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **शेड्स के प्रकार**: इस नीति में गुड्स व्हार्फ, लोडिंग/अनलोडिंग सुविधा, कर्मचारियों के लिए आराम करने की जगह, अप्रोच रोड, कवर्ड शेड और दूसरे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इन सुविधाओं को निजी कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा। एसेट्स और सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी एग्रीमेंट अवधि के दौरान डेवलपर की होगी। रेलवे निर्माण के लिए शुल्क की वसूली नहीं करेगा। इन सुविधाओं को कॉमन यूजर फेसिलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन सुविधाओं के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।
- **बिडिंग के जरिए चुनाव:** डेवलपर को प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा। टर्मिनल चार्ज और टर्मिनल एक्सेस चार्ज में बिडिंग के मानदंड का हिस्सा होगा जिन्हें पांच वर्ष की अवधि के लिए गुड्स शेड्स में यातायात पर वसूला जाएगा।
- **राजस्व का अतिरिक्त स्रोत:** डेवलपर को उपलब्ध स्थान के उपयोग के जरिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की अनुमति होगी, कैंटीन, टी शॉप्स बनाना, और विज्ञापन।

बिजली

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (कानून में परिवर्तन, मस्ट-रन स्टेटस और अन्य मामले) नियम, 2020 जारी

ऊर्जा मंत्रालय ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (कानून में परिवर्तन, मस्ट-रन स्टेटस और अन्य मामले) नियम, 2020 को जारी किया।[71] इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के अंतर्गत ड्राफ्ट नियमों का उद्देश्य पास थ्रू को आसान बनाना और खरीदारों से मांग की कमी के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को क्षतिपूर्ति देना है। पास थ्रू का मतलब ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई अतिरिक्त व्यय को लागत में जोड़ा जाता है और उसे उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। ड्राफ्ट नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:

- **कानून में परिवर्तन पर टैरिफ का समायोजन:** कानूनी स्थिति में किसी बदलाव की स्थिति में प्रभावित पक्ष को क्षतिपूर्ति देने के लिए टैरिफ का समायोजन किया जाएगा। कानूनी स्थिति के परिवर्तन में अक्सर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय होता है जो टैरिफ को प्रभावित करता है। क्षतिपूर्ति का उद्देश्य प्रभावित पार्टी की आर्थिक स्थिति को बहाल करना होगा जैसे कि कानून में परिवर्तन नहीं हुआ है। बिजली की प्रति यूनिट के आधार पर पास थ्रू की अनुमति दी जाएगी और कानूनी स्थिति में परिवर्तन के 30 दिनों के बाद यह अपने आप लागू हो जाएगी। पास थ्रू निर्धारित करने के फार्मूले का उल्लेख बिडिंग डॉक्यूमेंट या पावर पर्चेज एग्रीमेंट (पीपीए) में किया जाना चाहिए। अन्यथा, सरकारी दिशानिर्देशों में निर्धारित फार्मूला का उपयोग पास थ्रू निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोग को पास थ्रू के 60 दिनों के भीतर दावे के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सत्यापन उत्पादक और खरीदारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर आधारित होगा।
- **मस्ट-रन पावर प्लांट्स**: बिजली बेचने के पीपीए वाले सभी अक्षय ऊर्जा पावर प्लांट्स

(जैसे विंड, विंड-सोलर और हाइड्रो) को मस्ट-रन पावर प्लांट्स के तौर पर माना जाएगा। बिजली ग्रिड में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा या ग्रिड की सुरक्षा से संबंधित कारण होने पर मस्ट-रन पावर प्लांट को कटौती या रेगुलेशन का पात्र बनाया जाएगा। किसी कारण से कटौती होने पर खरीदारों को उत्पादक को क्षतिपूर्ति देनी होगी। क्षतिपूर्ति की दर पीपीए में दर्ज होनी चाहिए, नहीं तो यह पीपीए की प्रति यूनिट दर का 75% होगा।

- **वितरण कंपनियों के लिए बिजली की खरीद हेतु ट्रेडिंग लाइसेंस**: मध्यस्थ खरीदार को बिडिंग प्रक्रिया के जरिए वितरण कंपनियों से बिजली खरीदने की अनुमति होगी। अगर अलग-अलग दरों पर कई सप्लायर्स मौजूद हैं तो सभी बोलियों का औसत, अंतिम बोली माना जाएगा।

ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (लेट पेमेंट सरचार्ज) नियम, 2020 जारी

ऊर्जा मंत्रालय ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (लेट पेमेंट सरचार्ज) नियम, 2020 को जारी किया।[72] इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के अंतर्गत जारी नियमों का उद्देश्य निम्नलिखित द्वारा लेट पेमेंट सरचार्ज को रेगुलेट करना है (i) वितरण लाइसेंसी को उत्पादक कंपनी को, या (ii) ट्रांसमिशन सिस्टम यूजर को ट्रांसमिशन लाइसेंसी को। खरीदी गई बिजली या ट्रांसमिशन सिस्टम के इस्तेमाल पर देय तिथि के बाद मासिक शुल्क चुकाने पर लेट पेमेंट सरचार्ज लगाया जाता है। यह देय तिथि के बाद सभी बकाया भुगतान पर लागू होगा।

सरचार्ज की दर लागू बैंक दर या बिजली की आपूर्ति या ट्रांसमिशन एग्रीमेंट में प्रदान की गई दर के अनुसार होगी, जो भी कम हो। बैंक दर से तात्पर्य भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की फंड बेस्ड लेंडिंग की मार्जिकल कॉस्ट की दर तथा 500 बेसिस प्वाइंट्स है। यदि लागू दर एग्रीमेंट में प्रदान की गई दर से कम है, तो नियत तिथि से एक महीने बाद की दर में 50 बेसिस प्वाइंट्स की वृद्धि होगी। लेट पेमेंट सरचार्ज की अधिकतम सीमा बैंक दर और 200 बेसिस प्वाइंट होगी।

वितरण लाइसेंसी द्वारा किसी उत्पादक कंपनी को या ट्रांसमिशन सिस्टम यूजर द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंसी को सभी भुगतान लेट पेमेंट सरचार्ज में समायोजित किए जाएंगे।

नवीन और अक्षय ऊर्जा

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

ग्रिड कनेक्टेड विंड-सोलर हाइब्रिड प्रॉजेक्ट्स से बिजली की खरीद के लिए बिडिंग प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रिड कनेक्टेड विंड-सोलर हाइब्रिड प्रॉजेक्ट्स से बिजली की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी टैरिफ-आधारित बिडिंग प्रक्रिया के आधार पर एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए।[73] यह मई 2018 में जारी विंड-सोलर हाइब्रिड नीति के अनुसार है।[74] इस नीति का उद्देश्य ग्रिड-कनेक्टेड विंड-सोलर हाइब्रिड प्रॉजेक्ट्स को बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है। दिशानिर्देशों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:

- **एप्लिकेबिलिटी:** दिशानिर्देश एक साइट पर 50 मेगावॉट से अधिक की क्षमता वाले हाइब्रिड प्रॉजेक्ट्स से बिजली की दीर्घकालीन खरीद पर लागू होंगे जहां किसी एक संसाधन (विंड या सोलर) की रेटेड क्षमता कुल कॉन्ट्रैक्टेड क्षमता का कम से कम 33% होनी चाहिए।
- **बिड की संरचना और प्रक्रिया**: बिडर को एक साइट पर न्यूनतम 50 मेगावॉट की प्रॉजेक्ट क्षमता के लिए बोली लगाने की अनुमति होगी। बिडर को आबंटन की अधिकतम क्षमता वितरण लाइसेंसी द्वारा तय की जा

सकती है। आबंटन की अधिकतम सीमा स्केल ऑफ इकोनॉमीज़, भूमि की उपलब्धता, अपेक्षित प्रतिस्पर्धा और बाजार के विकास की आवश्यकता के आधार पर तय की जाएगी। बिडर का कोट किया गया टैरिफ बिडिंग प्रक्रिया का मानदंड होगा। बिडर इनमें से किसी भी प्रकार की टैरिफ आधारित बिडिंग प्रदान करेगा: (i) 25 वर्ष या उससे अधिक के लिए रुपए/किलोवॉट आवर में नियत टैरिफ, (ii) पूर्व-निर्धारित वार्षिक वृद्धि के साथ रुपए/किलोवॉट आवर में वृद्धिशील टैरिफ और जिस वर्ष से यह वृद्धि लागू होगी। खरीदार (वितरण कंपनी) अंतिम चयन के लिए ई-रिवर्स नीलामी का विकल्प भी चुन सकता है।

- **पावर पर्चेज एग्रीमेंट**: चयनित बिडर पावर पर्चेज एग्रीमेंट (पीपीए) पर हस्ताक्षर करेगा। पीपीए की न्यूनतम अवधि अनुसूचित कमीशनिंग तिथि से 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर चयनित बिडर एकल कंपनी है तो प्रॉजेक्ट कंपनी में उसकी शेयरहोल्डिंग, बिना पूर्व अनुमति के, कमर्शियल ऑपरेशन की तिथि के बाद पहले वर्ष में 51% से कम नहीं होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में डीआरई लाइवलीगुड एप्लिकेशंस के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा (डीआरई) लाइवलीहुड एप्लिकेशंस को विकसित एवं प्रोत्साहित करने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क पर टिप्पणियों को आमंत्रित किया है।[75] डीआरई लाइवलीहुड एप्लिकेशंस का अर्थ है, जीविकोपार्जन के लिए अक्षय ऊर्जा का एप्लिकेशन (जैसे सोलर ड्रायर और पावर्ड कोल्ड स्टोरेज)। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मांग का आकलन**: देश के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में डीआरई लाइवलीहुड एप्लिकेशंस के लिए मांग की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। मंत्रालय डीआरई के लाइवलीहुड एप्लिकेशंस और लाभार्थियों की जरूरतों की सूची तैयार करेगा।
- **अनुसंधान और विकास**: दक्षता बढ़ाने के लिए डीआरई टेक्नोलॉजी संबंधी अनुसंधान और विकास गतिविधियां चलाई जाएंगी। इन्हें नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से संचालित किया जाएगा।
- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** डीआरई लाइवलीहुड एप्लिकेशंस के संचालन और रखरखाव, इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन में कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। संभावित खरीदारों के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न सामुदायिक स्तर के मंच (जैसे स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन) विकसित किए जाएंगे।
- **सार्वजनिक जागरूकता और कार्यान्वयन एजेंसी**: केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग अपने मौजूदा कार्यक्रमों के अंतर्गत सार्वजनिक जागरूकता अभियान चला सकते हैं ताकि डीआरई लाइवलीहुड एप्लिकेशंस को बढ़ावा दिया जा सके। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त राज्य नोडल एजेंसियां ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन और तकनीकी सहयोग देने के लिए जिम्मेदार होंगी।

कृषि

Saket Surya (saket@prsindia.org)

कैबिनेट ने तेल कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए संशोधित प्रक्रिया को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने 2013 में शुरू किए गए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसीज़) से इथेनॉल की खरीद हेतु संशोधित प्रणाली को मंजूरी दी है।[76] कार्यक्रम के अंतर्गत

ओएमसीज़ प्रबंधित कीमत पर डिस्टिलरीज़ से एथोनॉल खरीदती हैं और अधिकतम 10% इथोनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बेचती हैं। कार्यक्रम गन्ना आधारित कच्चे माल से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने देने का भी प्रयास करता है और इसका उद्देश्य देश में चीनी उत्पादन को कम करना है। पूर्व प्रणाली में ओएमसीज़ से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे उच्च शर्करा कंटेंट (गन्ने के जूस के बाद शीरा) का इस्तेमाल करते हुए स्रोतों से बनने वाले इथेनॉल की खरीद को वरीयता दें। नई प्रणाली में स्थानीय उद्योग को उचित अवसर देने और राज्यों में इथेनॉल की अव्यवस्थित आवाजाही को कम करने का प्रयास किया गया है।

इस प्रणाली के अंतर्गत ओएमसी विभिन्न स्रोतों से इथेनॉल खरीद की प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए मापदंड तय करेंगी। मापदंड में परिवहन लागत और उपलब्धता जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा, और यह राज्य की सीमाओं के भीतर लागू होगा।

कैबिनेट ने सप्लाई वर्ष 2020-21 (दिसंबर 2020-नवंबर 2021) के लिए इथेनॉल की कीमतों में वृद्धि को भी मंजूरी दी। मूल्य में वृद्धि इस प्रकार है:

- गन्ने के रस, चीनी या चाशनी से प्राप्त इथेनॉल 59.48 रुपए प्रति लीटर से 62.65 रुपए प्रति लीटर,
- बी हेवी शीरे से बनने वाला इथेनॉल (चीनी उत्पादन में इस्तेमाल, लेकिन इसमें फिर भी इसमें शर्करा होती है) 54.27 रुपए प्रति लीटर से 57.61 रुपए प्रति लीटर, और
- सी हेवी शीरे से प्राप्त इथेनॉल (चीनी की प्रोसेसिंग के बाद बचा अंतिम उत्पाद) 43.75 रुपए प्रति लीटर से 45.69 रुपए प्रति लीटर।

जल संसाधन

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से सुरक्षित पानी पहुंचाने का कैंपन शुरू

जल शक्ति मंत्रालय ने 100 दिवसीय अभियान शुरू किया है ताकि देश के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके।[77] यह अभियान जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत आता है जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पानी का कनेक्शन देना है। अभियान की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:[77,78]

- **घटक**: अभियान के मुख्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, आदिवासी हॉस्टल्स, हेल्थ और वेलनेस केंद्र और सामुदायिक शौचालयों के लिए नल से पानी की सप्लाई का प्रावधान, (ii) मलिन जल का उपचार और दोबारा उपयोग ताकि पर्यावरण स्वच्छ बने, (iii) डिलिवरी प्वाइंट्स पर पानी की गुणवत्ता पर निगरानी रखना, और (iv) ऑपरेशंस और रखरखाव के लिए मानव संसाधन विकास।
- **प्रशासन**: राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग इस अभियान का नेतृत्व करने वाले नोडल विभाग होंगे। इसमें ग्राम पंचायतें और उनकी उप समितियां शामिल होंगी, साथ ही शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास तथा आदिवासी कल्याण विभाग भी शामिल होंगे।
- सुरक्षित पेय जल को प्रदान करने की सुविधाओं को ग्राम पंचायत और उनकी उप समितियां जैसे ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति द्वारा संचालित किया जाएगा और वही उनका रखरखाव करेंगी।

- **कार्यान्वयन**: विभिन्न स्थितियों के लिए कार्यान्वयन रणनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) नल से पानी के चालू कनेक्शन वाले स्थान: लंबी अवधि के लिए पर्याप्त और सुरक्षित जल प्रदान करेंगे, (ii) ऐसे नल वाले स्थान जिनमें पानी नहीं आता: पानी की सप्लाई में सुधार करना, (iii) ऐसे स्थान जहां नल वाले कनेक्शन प्रस्तावित नहीं हैं: पानी सप्लाई की स्टैंडएलोन योजनाओं का प्रावधान, जैसे ट्यूबवेल, साथ ही नल से पानी की स्थायी सप्लाई में शुद्धिकरण और शत प्रतिशत नल से पानी का चालू कनेक्शन दिया जाएगा।

शिक्षा

Anya Bharat Ram (anya@prsindia.org)

स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रॉजेक्ट मंजूर

केंद्रीय कैबिनेट ने स्ट्रेंथेनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (स्टार्स) प्रॉजेक्ट को मंजूरी दी है।[79] प्रॉजेक्ट का उद्देश्य देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

राष्ट्रीय स्तर पर योजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं: (i) विद्यार्थियों की स्कूलों में बहाली, संक्रमण और समापन दर पर आंकड़ें एकत्र करना, (ii) अंतरराज्यीय संवाद स्थापित करने के लिए नेशनल एसेसमेंट सेंटर बनाना, और (iii) प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान शिक्षा को आसान बनाने के लिए आकस्मिक आपात प्रतिक्रिया घटक का गठन, इत्यादि राज्य स्तर पर योजना निम्नलिखित मामलों पर केंद्रित होगी: (i) प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा एवं मूलभूत शिक्षण, (ii) शिक्षण मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार, और (iii) व्यवसायगत शिक्षा और कक्षा निर्देशों को मजबूत करना।

यह हिमाचल प्रदेश, केरल, ओड़िशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे छह राज्यों पर केंद्रित होगा।

प्रॉजेक्ट की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए विश्व बैंक 3,700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक नई योजना के रूप में लागू किया जाएगा।

अनुलग्नक

2020-21 में संसद की विभिन्न स्टैंडिंग कमिटीज़ ने समीक्षा के लिए जिन विषयों को चिन्हित किया है, उनका विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1: 2020-21 में संसद की स्टैंडिंग कमिटीज़ निम्नलिखित विषयों की समीक्षा करेंगी

कृषि
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
1. देश में प्रमाणित बीजों का उत्पादन और उपलब्धता।
2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन- एक समीक्षा।
3. देश में कृषि ऋण प्रणाली का कार्य।
4. देश में कृषि के व्यापक विकास में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) की भूमिका- एक मूल्यांकन।
5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- एक मूल्यांकन।
6. देश में तिलहन और दलहन का उत्पादन और उपलब्धता।
7. राष्ट्रीय बांस मिशन- एक समीक्षा।
8. जीरो बजट प्राकृतिक कृषि- संभावनाएं और चुनौतियां।
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
1. आईसीएआर-केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, गोवा- प्रदर्शन की समीक्षा।
2. आदिवासी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान में आईसीएआर का योगदान।
3. देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनरी में अनुसंधान और विकास
पशुपालन और डेयरी एवं मत्स्य विभाग
1. देश में पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु वैक्सीन की उपलब्धता की स्थिति।
2. मवेशी बीमा योजनाओं का मूल्यांकन।
3. पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में लैंगिक दृष्टिकोण।
4. राष्ट्रीय मवेशी मिशन- एक अनुशंसा।
5. देश में पोल्ट्री क्षेत्र की स्थिति और संवर्धन।

6. स्वदेशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक केंद्र (एनबीजीसी-आईबी)- प्रदर्शन की समीक्षा।

मत्स्य विभाग

1. मत्स्य पालन क्षेत्र की रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन क्षमता।
2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के मद्देनजर मछुआरों को प्रशिक्षण और विस्तार सुविधाओं में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एएफडीबी) की भूमिका।
3. डीप-सी फिशिंग का विकास।
4. मत्स्य पालन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट- एक अवलोकन।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

1. खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण क्षमता निर्माण/विस्तार के लिए योजना- एक मूल्यांकन।
2. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में दक्षता विकास और रोजगार सृजन।
3. 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पहल।

रसायन एवं उर्वरक

उर्वरक विभाग

1. बंद और बीमार उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार।
2. उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, मृदा/पर्यावरण/स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव और जैविक उर्वरकों के उपयोग की धीमी वृद्धि।
3. जीएसटी और आयात शुल्क के संदर्भ में उर्वरक क्षेत्र पर कर संरचना - कच्चे माल और अंतिम उत्पादों की कर संरचना का विश्लेषण और आत्मनिर्भरता और उर्वरकों के उपयोग पर इसका प्रभाव।

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

1. पेट्रोरसायन के आयात-निर्यात सहित मांग और उपलब्धता।
2. विजन 2024- भारत को रसायनों और पेट्रोरसायन के क्षेत्र में अग्रणी निर्माता बनाना।
3. कीटाणुनाशक- सुरक्षित प्रयोग सहित संवर्धन और विकास- कीटाणुनाशकों के लिए लाइसेंसिंग की व्यवस्था।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग

1. प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की समीक्षा।
2. मेडिकल उपकरण उद्योग का संवर्धन।
3. भारत में कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन की स्थिति।

कोयला और स्टील

कोयला मंत्रालय

1. कोयला/लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनःस्थापन के मुद्दे।
2. कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास।
3. भारत के एनर्जी मिक्स में कोयले का भविष्य।
4. कोयला खदान श्रमिक कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा।
5. कोयला खदानों में सुरक्षा।
6. कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन- अनुमान और योजना।
7. कोयला क्षेत्र में दक्षता विकास।
8. कोयला महानियंत्रक कार्यालय का प्रदर्शन।
9. देश में अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सतर्कता गतिविधियों का कार्यान्वयन।
10. कोयला/लिग्नाइट कंपनियों द्वारा पर्यावरण मानदंड का अनुपालन।
11. कोयले का आयात - रुझान और आत्मनिर्भरता का मुद्दा।
12. बंदरगाहों पर कोयले की हैंडलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर।
13. कोयला संरक्षण और देश भर में कोयला परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास।

खान मंत्रालय

1. खनिज और खनिज आधारित उत्पादों में नया नीलामी तंत्र और आत्मनिर्भरता।
2. उत्तर पूर्वी राज्यों में खनिज अन्वेषण गतिविधियां और क्षेत्र के विकास पर इसका समग्र प्रभाव।
3. भारत में एल्यूमीनियम और कॉपर उद्योग का विकास।
4. देश में लौह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उपाय।
5. संगठनात्मक संरचना और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) का प्रदर्शन- एक समीक्षा।
6. संगठनात्मक संरचना और भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) का प्रदर्शन- एक समीक्षा।
7. खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाना और उसे सरल बनाना।
8. खनन गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के कारण प्रदूषण समाप्ति के उपाय।

स्टील मंत्रालय

1. लौह अयस्क खदान का लीज आउट और इष्टतम क्षमता उपयोग।
2. स्टील नीति और स्टील क्षेत्र के विकास पर उसके प्रभाव की समीक्षा।
3. द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में सहायता हेतु मुख्य नीतिगत परिवर्तन।

4. स्टील प्लांट्स द्वारा ऊर्जा दक्षता का प्रबंधन और लौह अयस्क खनन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे।
5. स्टील पीएसयू में सुरक्षा प्रबंधन और कार्य पद्धतियां।
6. भारत में मैंगनीज अयस्क उद्योग का विकास।
7. स्टील क्षेत्र में दक्षता विकास।
8. स्टील उपयोग को बढ़ावा देना।
9. स्टील पीएसयू की ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थिति।

बिजली

ऊर्जा मंत्रालय

1. बिजली क्षेत्र में रेगुलेटर्स की भूमिका- एक मूल्यांकन।
2. एनर्जी ऑडिट- एक मूल्यांकन।
3. एकीकृत बिजली विकास योजना- एक मूल्यांकन।
4. ग्रिड प्रबंधन में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्य।
5. बिजली क्षेत्र का विकास।
6. बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली का मूल्यांकन- निष्कासन मांगों के मिलान में प्रदर्शन क्षमता।
7. बिजली की टैरिफ नीति की समीक्षा- देश में टैरिफ संरचना में एकरूपता की आवश्यकता।
8. बिजली क्षेत्र के संतुलित विकास में केंद्रीय बिजली अथॉरिटी का योगदान।
9. लोड डिस्पैच सेंटर और पावर एक्सचेंज का संचालन।
10. थर्मल और हाइड्रो क्षेत्रों के बिजली प्लांट्स का प्रदर्शन।
11. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
12. सौभाग्य- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना।
13. डिसकॉम्स के वित्तीय बदलाव में उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की भूमिका और महत्व।
14. भारत में बिजली उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट्स।
15. बिजली क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/समापन में देरी।
16. बिजली क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित कोल ब्लॉक का विकास।

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय

1. अक्षय ऊर्जा योजनाओं के विकास में नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू/संस्थानों की भूमिका।
2. ग्रिड कनेक्टिविटी- कैप्टिव रिन्यूएबल पावर प्लांट सहित अक्षय ऊर्जा के लिए ग्रिड कनेक्शन।
3. 175 गिगावॉट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य की उपलब्धि के लिए कार्य योजना।
17. अक्षय ऊर्जा के सस्ते और प्रभावी वितरण/ मार्केटिंग के उपाय।
18. दीर्घकालिक ऊर्जा नीति और कानूनी सुधारों की आवश्यकता।
19. अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास।
20. भारत में टाइडल पावर का विकास।
21. अक्षय ऊर्जा- संभावना और दोहन।
22. बिजली क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा की भूमिका का मूल्यांकन।
23. अक्षय घटकों/उपकरणों के लिए विनिर्माण आधार की कमी के कारण।
24. अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधा।
25. भारत में सोलर और विंड एनर्जी का मूल्यांकन।

विदेशी मामले

1. कोविड-19 महामारी- वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और भविष्य का मार्ग।
2. भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति- संभावनाएं और सीमाएं।
3. भारत और अंतरराष्ट्रीय कानून, विदेशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां, शरण के मुद्दे, अंतरराष्ट्रीय साइबर-सुरक्षा और वित्तीय अपराधों के मुद्दे।
4. भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति।
5. भारत और द्विपक्षीय निवेश संधियां।
6. भारत-यूएसए संबंध- एक महत्वपूर्ण समीक्षा।
7. जलवायु परिवर्तन वार्ता में भारत की स्थिति।
8. भारतीय प्रवासी कल्याण- नीतियां/योजनाएं।
9. ई-पासपोर्ट जारी करने सहित पासपोर्ट प्रणाली का प्रदर्शन।
10. भारत का विस्तारित पड़ोस – लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट।
11. यूरोपीय संघ और भारत।
12. राजनीतिक/आर्थिक/ सांस्कृतिक और कांसुलर जिम्मेदारियों के महत्वपूर्ण मूल्यांकन सहित विदेशी मिशन्स का कामकाज।
13. भारत और भारत-प्रशांत क्षेत्र- जुड़ाव और सहयोग के लिए रणनीतियां।
14. आईएफएस कैडर के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण में प्रगति।
15. अफ्रीकी देशों के साथ भारत का जुड़ाव।
16. संयुक्त राष्ट्र का सुधार- अनिवार्यता और चुनौतियां।
17. लैटिन अमेरिका के साथ संबंध विकसित करने की संभावना।
18. भारत की पश्चिम एशिया नीति- एक अवलोकन/ पश्चिम एशिया में भारत की विदेश नीति।
19. क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद पर नियंत्रण।

गृह मामले

1. महिलाओं पर अत्याचार और अपराध।
2. देश में मानव तस्करी।
3. राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया समन्वय और आतंकवाद से मुकाबला।
4. पुलिस- प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधार।
5. जेल- स्थितियां, बुनियादी ढांचा और सुधार।
6. केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन, विकास और लोगों का कल्याण: (i) जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, और (ii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
7. तटीय सुरक्षा।
8. कोविड- 19 महामारी का प्रबंधन और संबंधित मुद्दे।
9. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते अपराध।

इनफॉरमेशन और टेक्नोलॉजी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

1. प्रसार भारती के कामकाज की समीक्षा।
2. मीडिया कवरेज में नैतिक मानक।
3. फिल्म उद्योग- समस्याएं और चुनौतियां।
4. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के कामकाज की समीक्षा।
5. दूरदर्शन चैनलों की कार्यप्रणाली और आउटरीच की समीक्षा।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय

1. नागरिकों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता।
2. डिजिटल भुगतान और डेटा सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपाय।
3. भारतीय यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (यूआईडीएआई) के कामकाज की समीक्षा।
4. सोशल/ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफार्मों पर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और दुरुपयोग की रोकथाम, विशेष रूप से डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा पर बल देते हुए।
5. इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन और आयात में कमी हेतु उपाय।
6. सूचना प्रौद्योगिकी में नीतिगत मुद्दे जिसमें क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आदि शामिल हैं।
7. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एमईआईटीवाई की प्रौद्योगिकी पहल।
8. भारत में साइबर सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा।

डाक विभाग

1. डाक विभाग में रियल ऐस्टेट प्रबंधन।
2. डाक विभाग- पहल और चुनौतियां।

दूरसंचार विभाग

1. बीएसएनएल और एमटीएनएल के कामकाज की समीक्षा और उनके प्रदर्शन में वृद्धि की योजना।
2. ट्राई के कामकाज की समीक्षा।
3. उत्तर पूर्व और एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष जोर के साथ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के अंतर्गत योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा।
4. 5 जी के लिए भारत की तैयारी
5. दूरसंचार सेवाओं का सस्पेंशन/ इंटरनेट और इसके प्रभाव।
6. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपीज़) सहित टेलीकॉम क्षेत्र के विरोधी मुद्दे।
7. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) के कार्य की समीक्षा।
8. इमर्जिंग और कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज, संस्थाएं और कार्य पद्धतियों की चुनौतियों की अंतरक्षेत्रीय समीक्षा।

श्रम

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

1. भारत पर आईएलओ कन्वेंशन को लागू करने के उपाय- एक मूल्यांकन।
2. खान श्रमिकों की कार्य स्थिति और कल्याण, और खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के कामकाज का आकलन।
3. सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में बारामासी प्रकृति की नौकरियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट/कैजुअल/सैनिटेशन वर्कर्स की तैनाती।
4. आउटसोर्स एजेंसियों/कंपनियों द्वारा नियुक्त श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों की स्थिति।
5. बागान श्रमिकों का कल्याण।
6. ईपीएफ पेंशन योजना के लिए विशेष संदर्भ के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्य।
7. कर्मचारी राज्य बीमा निगम- ईएसआई योजना और कॉर्पस फंड के प्रबंधन के अंतर्गत एप्लिकेबिलिटी और लाभ।
8. केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य।
9. केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन।
10. बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति- एक आकलन।
11. बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास।
12. अनुसूचित रोजगार की वर्तमान श्रेणियों का आकलन।
13. कॉन्ट्रैक्ट/कैजुअल श्रमिकों के कल्याण से संबंधित श्रम कानूनों का कार्यान्वयन।
14. बीपीओ/कॉल सेंटर जैसे आईटी और दूरसंचार क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय।

15. अनुसूचित रोजगार क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को लागू करना।
16. अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय।
17. असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के उपाय, जिनमें स्कीम वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर और मछुआरे शामिल हैं।
18. प्रवासी कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक और वापस आने वाले श्रमिक, विशेष रूप से मध्य पूर्व से लौटने वाले श्रमिक के हितों की रक्षा के उपाय।

कपड़ा मंत्रालय

1. जूट उद्योग का विकास और संवर्धन।
2. कौशल विकास की तुलना में कपड़ा क्षेत्र में विनिर्माण और उन्नयन।
3. कपड़ा मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाएं- एक मूल्यांकन।
4. भारतीय कपड़ा उद्योग में चुनौतियां/अवसर।
5. कपास क्षेत्र का विकास।
6. रेशम उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की योजनाएं/कार्यक्रम।
7. हैंडलूम क्षेत्र की स्थिति/प्रदर्शन।
8. पावरलूम क्षेत्र की स्थिति और सुधार।
9. हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की मार्केटिंग एजेंसियों का प्रदर्शन।
10. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) का कामकाज।
11. मानव निर्मित फाइबर का विकास।
12. राष्ट्रीय कपड़ा निगम का कार्य।

दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्रालय

1. प्रधानमंत्री दक्षता विकास योजना।
2. राष्ट्रीय दक्षता योग्यता फ्रेमवर्क- एक आकलन।
3. प्रशिक्षण महानिदेशालय का कार्य।
4. राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम (एनएसडीसी) का कार्य।
5. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) का कार्यान्वयन।
6. कौशल अधिग्रहण और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान जागरूकता (संकल्प) परियोजना का कार्यान्वयन।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

1. खुदरा दुकानों और एलपीजी डीलरशिप का आबंटन।
2. प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण, मार्केटिंग और आपूर्ति।
3. तेल पीएसयू में मुकदमेबाजी।
4. तेल पीएसयू में खरीद प्रक्रिया में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और पारदर्शिता।
5. हाइड्रोकार्बन संसाधनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के विशिष्ट संदर्भ के साथ ऊर्जा सुरक्षा।
6. तेल शोधन- एक समीक्षा।
7. तेल पीएसयूज़ की सीएसआर गतिविधियां।
8. पीएनजी और सीएनजी सहित राष्ट्रीय गैस ग्रिड।
9. अन्य क्षेत्रों में वित्तीय प्रदर्शन और निवेश के विशिष्ट संदर्भ के साथ तेल पीएसयूज़ के प्रदर्शन की समीक्षा
10. तेल पीएसयूज़ की मानव संसाधन नीति।
11. पेट्रोलियम क्षेत्र में विनिवेश, विलय और अधिग्रहण।
12. पेट्रोलियम क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग।
13. गैर-पारंपरिक ईंधन के उत्पादन में प्रगति की समीक्षा।
14. एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा।
15. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए चुनौतियां और अवसर।
16. भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व।
17. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा।
18. तेल पीएसयूज़ की चालू परियोजनाओं की समीक्षा।
19. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की खोज और उत्पादन गतिविधियां।
20. पेट्रोलियम उत्पादों के आबंटन, मार्केटिंग और वितरण में रिजर्वेशन नीति।
21. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत।

रेलवे

1. रेल नेटवर्क का विस्तार।
2. रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के साथ यात्री सुविधाएं।
3. अतिरिक्त रेलवे भूमि का संरक्षण और उपयोग।
4. भारतीय रेलवे के साथ लास्ट मिनट पोर्ट कनेक्टिविटी।
5. भारतीय रेल की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाएं।
6. हाई-स्पीड ट्रेनों को शुरू करना।
7. भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली।
8. भारतीय रेलवे में भर्ती।
9. भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय परियोजनाएं और रणनीतिक लाइनें।
10. भारतीय रेलवे में डिजिटलीकरण।
11. भारतीय रेलवे के पीएसयूज़ की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज (सीएसआर) संबंधी गतिविधियां।
12. भारतीय रेलवे की उप-शहरी ट्रेन सेवाएं।
13. भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयों का प्रदर्शन।

14. रेलवे परिचालन में सुरक्षा उपाय।
15. रेलवे जोन का पुनर्गठन और पुनर्गठन।
16. भारतीय रेलवे की वर्कशॉप्स का आधुनिकीकरण और क्षमता उपयोग।
17. राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (आरआरएसके)।
18. भारतीय रेलवे द्वारा वैगनों की आवश्यकता, खरीद और उपयोग।
19. रेलवे के पीएसयूज़ में कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम।
20. किसान रेल ट्रेन सेवा।
21. रेलवे संचालन पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग

1. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन।
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण।
4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का मूल्यांकन।
5. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई- एनआरएलएम)।
6. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत विज़न- मेक इन इंडिया की प्रस्तुति।
7. ग्रामीण जनसंख्या के वित्तीय समावेशन में बैंकों की भूमिका।
8. गांवों में गरीब और निराश्रितों पर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का प्रभाव।
9. आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत आदर्श ग्रामों का निर्माण।
10. ग्रामीण विकास से संबंधित पीएसयूज़ में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधि की स्थिति और उपयोग।

भूसंसाधन विभाग

1. डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) का कार्यान्वयन।

पंचायती राज मंत्रालय

1. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)।

सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण

1. एससी, एसटी, ओबीसी, भिन्न क्षमता वाले व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों को बैंकों द्वारा प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग
2. सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करने वाले एनजीओज़ को सहायानुदान और उनके कामकाज एवं प्रदर्शन का मूल्यांकन।

सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग

1. अनुसूचित जातियों के लड़के-लड़कियों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना।
2. खतरनाक और अकुशल व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
3. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना।
4. अनुसूचित जातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक और अन्य संगठनों को सहायतानुदान।
5. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के अंतर्गत एससी/ओबीसी कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाएं/कार्यक्रम।

विकलांग व्यक्ति सशक्तीकरण विभाग

1. भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) की समीक्षा/कामकाज।
2. विकलांग व्यक्ति एक्ट (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन हेतु योजना का आकलन।
3. विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के कामकाज की समीक्षा।
4. दीनदयाल विकलांग व्यक्ति पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) का आकलन।
5. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के अंतर्गत दिव्यांगजन के कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाएं/ कार्यक्रम।

आदिवासी मामलों का मंत्रालय

1. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजीज़) का विकास।
2. अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन वासी (वन अधिकारों की मान्यता) एक्ट, 2006 के कार्यान्वयन की तुलना में आदिवासियों का विस्थापन।
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के कामकाज की समीक्षा।
4. भारतीय आदिवासी सहकारी मार्केटिंग विकास परिसंघ लिमिटेड (टीआरआईएफईडी) के कामकाज की समीक्षा।
5. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के कामकाज की समीक्षा।
6. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के अंतर्गत आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाएं / कार्यक्रम।

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एमएमडीएफसी) के कामकाज की समीक्षा।
2. मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन (एमएईएफ) के विशेष संदर्भ के साथ अल्पसंख्यक शैक्षिक

संस्थानों द्वारा अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना।
3. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
4. अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं।
5. कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए लागू योजनाएं/कार्यक्रम।
परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति
1. राष्ट्र निर्माण में राजमार्गों की भूमिका।
2. भारत के समुद्री क्षेत्र में अवसंरचना संवर्धन।
3. देश में पर्यटन स्थलों की क्षमता-कनेक्टिविटी और आउटरीच।
4. म्यूजियम्स और पुरातात्विक स्थलों का विकास और संरक्षण- चुनौतियां एवं अवसर।
5. भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी का कामकाज।
6. देश में एविएशन कनेक्टिविटी की स्थिति।
शहरी विकास
1. स्मार्ट सिटी मिशन- एक मूल्यांकन।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी और संबंधित मुद्दे।
3. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)।
4. शहरी क्षेत्रों, दिल्ली/एनसीआर सहित में वायु प्रदूषण की समस्या का हल तलाशना।
5. शहरी परिवहन सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन और योजना।
6. विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं का कार्यान्वयन और उपलब्ध विकल्प।
7. भूजल संरक्षण, जीर्णोद्धार और पुनर्भरण और शहरी क्षेत्रों में जल का पुन: उपयोग- शहरी क्षेत्रों में जल शक्ति अभियान का मूल्यांकन।
8. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित शहरी क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता कवरेज में सुधार में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की प्रगति और प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन।
9. शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसरों का निर्माण- दीन दयाल अंत्योदय योजना- एनयूएलएम।
10. समग्र विकास के लिए देश के हर शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता।
11. सीपीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा।
12. स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का कार्यान्वयन (जीविकोपार्जन का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का रेगुलेशन एक्ट, 2014)।
13. शहरी क्षेत्रों में नेशनल बिल्डिंग कोड का कार्यान्वयन।
14. शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार, सीवेज उपचार, उचित ड्रेनेज व्यवस्था।

Sources: Various issues of Bulletin-II, Lok Sabha; PRS.

[1] Ministry of Health and Family Welfare website, last accessed on November 1, 2020, https://www.mohfw.gov.in/index.html.

[2] "MHA extends the Guidelines for Re-opening", Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, October 27, 2020.

[3] "Graded relaxation in visa and travel restrictions", Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, October 22, 2020.

[4] "Finance Minister announces measures of Rs 73,000 crore to stimulate consumer spending before end of this Financial Year in fight against COVID-19", Press Information Bureau, Ministry of Finance, October 12, 2020.

[5] "Income-tax Exemption for payment of deemed LTC fare for non-Central Government employees", Press Release, Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, October 29, 2020, https://www.incometaxindia.gov.in/Lists/Press%20Releases/Attachments/870/Press-Release-IT-Exemption-for-payment-of-deemed-LTC-dated-29-10-2020.pdf.

[6] Statement on Developmental and Regulatory Policies, Reserve Bank of India, October 9, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR4549545265F1CB74304A99F879D7C2074B4.PDF.

[7] "Reserve Bank announces On Tap Targeted Long-Term Repo Operations", Press Release, Reserve Bank of India, October 21, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR520A1E17F473D714F3DA7618DDF70E358D5.PDF.

[8] Government Securities Market in India- A Primer, Reserve Bank of India, https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=79.

[9] RBI/2015-16/414 A.P. (DIR Series) Circular No. 74, Reserve Bank of India, May 26, 2016, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NT4147D02EB7EF9534555A50D7CA952A686E6.PDF.

[10] Master Direction- Export of Goods and Services, Reserve Bank of India, January 1, 2016, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/11MDEGS12051634283839522O4B77831A3A086E82FDDF.PDF.

[11] Master Circular – Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline- New Capital Adequacy Framework, July 1, 2015, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/85BL4697A788DAB5485B826CFA24D35EA1BE.PDF.

[12] F.No. 2/12/2020-BOA.I, Department of Financial Services, Ministry of Finance, October 23, 2020,

https://financialservices.gov.in/sites/default/files/Scheme%20Letter.pdf.

[13] Order dated October 5, 2020, Gajendra Sharma vs Union of India and Anr., W.P. (C) No. 825 of 2020, Supreme Court of India, October 5, 2020, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/11127/11127_2020_34_1_24234_Order_05-Oct-2020.pdf.

[14] "COVID-19 – Regulatory Package", Notifications, Reserve Bank of India, March 27, 2020, https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11835.

[15] "COVID-19 – Regulatory Package", Notifications, Reserve Bank of India, May 23, 2020, https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11902&Mode=0.

[16] "Department of School Education and Literacy, Ministry of Education issues SOP/Guidelines for reopening of schools today", Press Information Bureau, Ministry of Education, October 5, 2020.

[17] SOPs for Exhibition of Films on preventive measures to contain spread of COVID-19, Ministry of Information & Broadcasting, October 6, 2020, https://mib.gov.in/sites/default/files/SOP%20for%20exhibition%20of%20films.pdf.

[18] Standard Operating Procedure (SOP)/ Preventive measures to be taken while holding of Business to Business (B2B) Trade Exhibitions to contain spread of COVID-19, Ministry of Commerce and Industry, October 15, 2020, https://commerce.gov.in/writereaddata/uploadedfile/MOC_6.

[19] Notification No. 36/2015-20, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, October 6, 2020, https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/72cf63ac-f3bd-41f7-a9eb-d621341fc2cb/Noti%20No.36%20Engpdf.pdf.

[20] Notification No. 40/2015-20, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, October 15, 2020, https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/9b7cc415-9145-4593-bff0-8ca65dfdde16/Noti%2040%20Eng.pdf.

[21] Notification No. 42/2015-20, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, October 22, 2020, https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/b1ffbbc7-9e04-4314-be2d-6e68972e28d2/Noti%2042%20Eng.pdf.

[22] Notification No. 44/2015-20, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, January 31, 2020, https://content.dgft.gov.in/Website/Noti%2044_0.pdf.

[23] Notification No. 29/2015-2020, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, August 25, 2020, https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/044dee49-bea7-4bf0-9cb7-5511f5cdab52/Noti%20%2029%20Eng.pdf.

[24] Notification No. 53/2015-20, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, March 24, 2020, https://content.dgft.gov.in/Website/Noti%2053_0.pdf.

[25] Notification No. 04/2015-20, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, May 6, 2020, https://content.dgft.gov.in/Website/Noti%204%20dt%2006.05.2020%20Eng_0.pdf.

[26] Notification No. 08/2015-20, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, June 1, 2020, https://content.dgft.gov.in/Website/noti%2008%20eng_0.pdf

[27] Office Memorandum F. No. AV. 29017/5/2020-DT, Ministry of Civil Aviation, October 19, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/DOC101920-10192020183946.pdf.

[28] Order No. 01/2020, Ministry of Civil Aviation, May 21, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/DOC052220-05222020133918.pdf.

[29] Order No. 04/2020, Ministry of Civil Aviation, July 24, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/order_04_of_2020_dt_24072020.pdf.

[30] Order No. 05/2020, Ministry of Civil Aviation, July 24, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/order_05_of_2020_dt_24072020.pdf.

[31] Order No. 07/2020, Ministry of Civil Aviation, October 29, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/DOC102920-10292020164701.pdf.

[32] S.O. 3752 (E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, October 20, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222661.pdf.

[33] "Consumer Price Index Numbers on Base 2012=100 for Rural, Urban and Combined for the Month of September 2020", Press Release, Ministry Of Statistics And Programme Implementation, October 12, 2020, http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/Press%20Statementsept20.pdf.

[34] "Index Numbers of Wholesale Price in India for the month of September, 2020", Press Release, Ministry of Commerce & Industry, October 14, 2020, https://www.eaindustry.nic.in/pdf_files/cmonthly.pdf.

[35] Monetary Policy Statement, 2020-21, Reserve Bank of India, October 9, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR4533A1E0B5339824F16A86DD4F47711BFAE.PDF.

[36] "Special Window to States for meeting the GST Compensation Cess shortfall", Press Information Bureau, Ministry of Finance, October 15, 2020.

[37] "Borrowing options to meet the GST Compensation requirement for 2020-21", Press Information Bureau, Ministry of Finance, August 29, 2020.

[38] "Recommendations of the 42nd GST Council Meeting", Press Information Bureau, Ministry of Finance, October 5, 2020.

[39] Report of the Committee for development of a concept paper on standalone Micro Insurance Companies, Insurance Regulatory and Development Authority of India, October 8, 2020,

https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/whatsNew_Layout.aspx?page=PageNo4260&flag=1.

[40] Order No. IRDAI/NL/ORD/MISC/260/10/2020, Insurance Regulatory and Development Authority of India, October 19, 2020, https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/whatsNew_Layout.aspx?page=PageNo4267&flag=1.

[41] Circular No. 71/IFSCA/CMD-RS/2020-21, International Financial Services Centres Authority, October 19, 2020, https://ifsca.gov.in/Viewer/Index/99.

[42] Notification RBI/2020-21/59, Reserve Bank of India, October 22, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NT597FAB5678F14F46359E7B535EBDE0E412.PDF.

[43] Report of the Committee on the Analysis of QR (Quick Response) Code, Reserve Bank of India, July 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/ANALYSISQRCODED11971A9B9874EAFA1A61478F461E238.PDF.

[44] The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance, 2020, Ministry of Law and Justice, October 28, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222804.pdf.

[45] G.S.R 662 (E) – 'Environment (Protection) Amendment Rules, 2020', Ministry of Environment, Forest and Climate Change, October 19, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222659.pdf.

[46] The Environment (Protection) Rules, 1986, Ministry of Environment and Forests, November 19, 1986, https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_MP_74_308_00003_00003_1543231806694&type=rule&filename=ep_rules_1986.pdf.

[47] G.S.R. 641 (E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, October 9, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222527.pdf.

[48] The Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2016, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, April 4, 2016, https://upload.indiacode.nic.in/showfile?actid=AC_RJ_83_1096_00001_00001_1563872109827&type=rule&filename=hazardous_and_other_wastes_(management_and_transboundary_movement)_rules,_2016.pdf.

[49] "Cabinet ratifies ban on seven chemicals that are hazardous to health & environment listed under Stockholm Convention", Press Information Bureau, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, October 7, 2020.

[50] G.S.R. 684(E), Gazette of India, Ministry of Labour and Employment, October 29, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222829.pdf.

[51] The Industrial Relations Code, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222118.pdf.

[52] Notification No. GHR/2020/56/FAC/142020/346/M3, Labour and Employment Department, Government of Gujarat, April 17, 2020, https://prsindia.org/files/covid19/notifications/3373.GJ_Lockdown_Relaxations_Factories_Apr%2017.pdf.

[53] Gujarat Mazdoor Sabha vs. State of Gujarat, Writ Petition No. 708 of 2020, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/11439/11439_2020_34_1501_24245_Judgement_01-Oct-2020.pdf.

[54] "Report No. 13 of 2020: Report of the CAG on National Pension System", Performance Audit Report, Comptroller and Auditor General of India, August 4, 2020, https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2020/Report%20No.%2013%20of%202020_NPS_English-05f8952c04a4417.54539256.pdf.

[55] S.O. 3465 (E) and 3466(E), Gazette of India, Ministry of Home affairs, October 5, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222257.pdf.

[56] S.O. 3807(E), Gazette of India, Ministry of Home Affairs, October 26, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222750.pdf.

[57] S.O. 3654(E), Gazette of India, Ministry of Home Affairs, October 16, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222521.pdf.

[58] Designing the Future of Dispute Resolution: The ODR Policy Plan for India (Draft), NITI Aayog, October 2020, https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-10/Draft-ODR-Report-NITI-Aayog-Committee.pdf.

[59] The Model Tenancy Act, 2020, http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/3%20ENGLISH.pdf.

[60] "Rules published for protection of Good Samaritans", Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, October 1, 2020.

[61] "MoRTH notifies amendment for incorporating divyangjan's ownership in registration documents", Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, October 23, 2020, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1667034.

[62] G.S.R. 624(E), Ministry of Road Transport and Highways, October 7, 2020, https://morth.nic.in/sites/default/files/notifications_document/Draft%20GSR%20624%28E%29%207%20october%202020%20IDP_0.pdf.

[63] SR 20020/2/2020-ML (CN: 342743), Introduction of the Coastal Shipping Bill, Ministry of Shipping, Government of India, October 16, 2020, http://shipmin.gov.in/sites/default/files/uploaded_Ministry websitenew_new.pdf.

[64] "Coastal Shipping Bill 2020: Explanation of Key Provisions", Ministry of Shipping, Government of India, October 16, 2020, http://shipmin.gov.in/sites/default/files/Explanation%20Note%20for%20Public%20Consultation.pdf.

[65] Draft Coastal Shipping Bill, 2020, Ministry of Shipping, Government of India, October 16, 2020, http://shipmin.gov.in/sites/default/files/Draft%20Coastal%20Shipping%20Bill%202020%20-%20For%20Public%20Comments.xls.

[66] Amendments to Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2016 – Request for suggestion of stakeholders,

F.No.23-60011/2/2020-Crew-DGS, Directorate General of Shipping, October 12, 2020, https://www.dgshipping.gov.in/writereaddata/News/20201012023457507599 9MSL.pdf.

[67] United Nations Convention on the Law of the Sea, https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

[68] "To boost shipbuilding in India, Ministry of Shipping amends Right of First Refusal (ROFR) licensing conditions", Press Information Bureau, Ministry of Shipping, October 22, 2020.

[69] "Directorate General of Shipping notified as National Authority for Ships Recycling", Press Information Bureau, Ministry of Shipping, October 15, 2020, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1664703.

[70] "Ministry of Railways issues "Policy on Development of Goods-sheds at small/road-side stations through Private Investment", Press Information Bureau, Ministry of Railways, October 15, 2020.

[71] 'Draft Electricity (Change in Law, Must-run status, and other Matters) Rules, 2020', Ministry of Power, October 1, 2020, https://powermin.nic.in/sites/default/files/webform/notices/Draft_Electricity_Change_in_Law_Must_run_status_and_other_Matters_Rules_2020.pdf.

[72] 'Draft Electricity (Late Payment Surcharge) Rules, 2020, Ministry of Power, October 8, 2020, https://powermin.nic.in/sites/default/files/webform/notices/Draft%20Electricity%20%28Late%20Payment%20Surcharge%29%20Rules%2C%202020.pdf.

[73] 'Guidelines for tariff based competitive bidding process for procurement of power from grid connected wind-solar hybrid projects', Ministry of New and Renewable Energy, October 14, 2020, https://mnre.gov.in/img/documents/uploads/file_f-1603290789230.PDF.

[74] National Wind-Solar Hybrid Policy, Ministry of New and Renewable Energy, May 14, 2018, https://mnre.gov.in/img/documents/uploads/2775b59919174bb7aeb00bb1d5cd269c.pdf.

[75] 'Draft Policy Framework for developing and promoting decentralised renewable energy livelihood applications in rural areas', Ministry of New and Renewable Energy, October 19, 2020, https://mnre.gov.in/img/documents/uploads/file_f-1603098738291.pdf.

[76] "Cabinet approves Mechanism for procurement of ethanol by Public Sector Oil Marketing Companies under Ethanol Blended Petrol Programme", Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, October 29, 2020.

[77] JJM Document number 8, 100 days campaign to provide Piped Water Supplying Anganwadi Centres, Asharmshalas, and Schools, Ministry of Jal Shakti, October 2, 2020, https://jalshakti-ddws.gov.in/sites/default/files/100_Days_Campaign_10_Oct_2020.pdf.

[78] "100-days Campaign to be launched on the occasion of Gandhi Jayanti under the Jal Jeevan Mission to provide potable piped water supply in Schools & Anganwadi Centres", Press Information Bureau, October 1, 2020, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1660770.

[79] Press Information Bureau, "Cabinet approves Rs. 5718 crore World Bank aided project STARS", Ministry of Education, October 14, 2020.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।